WWW.LIVELAW.IN

UPAG010116472015

न्यायालय Additional District and Session Judge, Court No-26, Agra

पीठासीन अधिकारी– (Sri Gyanendra Tripathi), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01574

सत्र विचारण संख्या–752/2015

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन

प्रति

1. श्री नरेंद्र सिंह पुत्र श्री भगवान दास, आयु लगभग 40 वर्ष,
2. श्रीमती नजमा पुत्री श्री जहूर खान, आयु लगभग 33 वर्ष,

निवासीगण– मोहल्ला मस्जिद जरार, थाना बाह, आगरा।

...............अभियुक्तगण

अपराध संख्याः–310/2015,
धारा– 302 भा0दं0सं0,1860(45)
थाना–बाह, जिला आगरा।

निर्णय

अभियुक्तगण नरेंद्र, आदि के विरूद्ध, थाना बाह की पुलिस द्वारा, मुकदमा अपराध संख्या 310/2015, अंतर्गत धारा– 302 भा0दं0सं0,1860 (45), आरोप पत्र, विचारणार्थ प्रस्तुत किया गया। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, आगरा द्वारा, आदेश दिनांक 01.12.2015 के माध्यम से, प्रस्तुत वाद को, विचारणार्थ, सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया, जहॉ यह वाद, सत्र विचारण सं0 752/2015 के रूप में पंजीकृत हुआ तथा पत्रावली, स्थानान्तरण के माध्यम से, इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी योगेंद्र सिंह पुत्र दारा सिंह, निवासी– मोहल्ला धोबीगली, जरार, थाना बाह, आगरा द्वारा इस आशय का तहरीरी प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.09.2015, थानाध्यक्ष बाह, आगरा के

WWW.LIVELAW.IN

समक्ष प्रस्तुत किया गया कि *''मेरा पुत्र रंजीत सिंह उर्फ चुन्ना, उम्र लगभग 5 वर्ष, कल दिनांक 01.09.2015 को शाम के समय करीब 5:30 बजे, घर से, मेरी पत्नी श्रीमती श्वेता से, श्री अंबरीश गुप्ता की दुकान पर जाने की, कह कर, गया था, वह अभी तक घर वापस नहीं आया है, मैं तुरंत अपने पुत्र की तलाश में श्री अंबरीश गुप्ता की दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद हो चुकी थी, फिर मैंने अपने परिवार व पड़ोसियों को बताया कि मेरा पुत्र नहीं मिल रहा है, फिर हम सभी ने मिलकर तलाश किया तो मेरा पुत्र रात भर कहीं नहीं मिला। आज दिनांक 02.09.2015 को हम लोग तलाश कर रहे थे तो समय करीबन 11 बजे दिन में सूचना मिली कि एक बच्चे की लाश, कोतवाल धर्मशाला के बगल में, ब्रह्मचारी गुप्ता के बंद पड़े मकान की छत पर पड़ी है। सूचना पर मैं, परिजनो के साथ तुरंत मौके पर पहुंचा व देखा तो वह लाश मेरे पुत्र रंजीत उर्फ चुन्ना की थी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पुत्र की हत्या नरेंद्र सिंह पुत्र भगवान दास जाटव, निवासी– मस्जिद, मुहल्ला जरार व उसकी पत्नी श्रीमती नजमा, जो वर्तमान में कोतवाल धर्मशाला जरार में रह रही है, दोनों ने मिलकर की है क्योंकि काफी दिन पहले मेरा, इन दोनो से झगड़ा हो गया था तो दोनो ने धमकी दी थी कि तेरा बुरा करके रहेंगे, उसी रंजिश को लेकर मेरे पुत्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है। लाश मौके पर पड़ी है।''*

वादी के उपरोक्त तहरीरी प्रार्थनापत्र के आधार पर, थाना बाह में प्रथम सूचना रिपोर्ट, अंतर्गत धारा– 302, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (45) दर्ज की गयी।

विवेचक द्वारा, विवेचना सम्बन्धी कार्यवाही करते हुए, घटना स्थल का निरीक्षण कर, दृष्टिचित्र तैयार किया गया तथा साक्षीगण के साक्ष्य संकलित किये गये। संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा, अभियुक्तगण नरेंद्र सिंह पुत्र भगवानदास व श्रीमती नजमा पत्नी नरेंद्र सिंह के विरूद्ध आरोपपत्र अंतर्गत धारा– 302 भा0द0सं0, 1860 (45) प्रेषित किया गया।

WWW.LIVELAW.IN

अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए, उनकी जमानत याचिकाएं, माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से निरस्त हो चुकी हैं, वे जिला कारागार में निरूद्ध हैं तथा न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए हैं।

अवर न्यायालय द्वारा, आदेश दिनांक 01.12.2015 के माध्यम से, आरोपपत्र पर विधिवत संज्ञान लिया गया तथा आदेश दिनांक 16.12.2015 के माध्यम से प्रस्तुत वाद को विचारणार्थ, सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया।

उपार्पण के उपरांत, अभियुक्तगण नरेंद्र सिंह व नजमा के विरूद्ध, आदेश दिनांक 29.04.2016 के माध्यम से, आरोप, अन्तर्गत धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (45) विरचित किया गया, अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण ने, आरोपों को अस्वीकार करते हुए, विचारण की मॉग किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया–

1. P.W.–1 के रूप में योगेंद्र सिंह पुत्र दारा सिंह (वादी मुकदमा), को परीक्षित कराया गया, जिसके द्वारा तहरीरी प्रार्थनापत्र को न्यायालय के समक्ष सिद्ध किया गया, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है,
2. P.W.–2 के रूप में वाकल सिंह पुत्र भगवानदास को परीक्षित कराया गया,
3. P.W.–3 के रूप में शव विच्छेदन दल के सदस्य डॉ0 रामगोपाल सिंह, (चिकित्साधिकारी) को परीक्षित कराया गया, जिनके द्वारा शव विच्छेदन आख्या पर अपने लेख व हस्ताक्षर को न्यायालय के समक्ष सिद्ध किया गया, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया,
4. P.W.–4 के रूप में तत्कालीन उपनिरीक्षक प्रेमपाल सिंह को परीक्षित कराया गया, जिनके द्वारा मूल G.D. की कार्बन प्रति पर अपने लेख व हस्ताक्षर को, न्यायालय के समक्ष, सिद्ध किया गया, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया,
5. P.W.–5 के रूप में विवेचक/प्रभारी निरीक्षक, अपराध शाखा (Crime

WWW.LIVELAW.IN

Branch), अलीगढ़ श्री बह्म सिंह को परीक्षित कराया गया, जिनके द्वारा न्यायालय के समक्ष सिद्ध अभिलेखीय प्रपत्र, प्रदर्शवार निम्नवत् हैं–

(a). मूल फर्द, प्रदर्श क–4

(b). खून लगे दीवार की खरोंच की फर्द, प्रदर्श क–5,

(c). Swab की मूल फर्द, प्रदर्श क–6,

(d). कोठरी की दीवार से लगे खून के छीटों के Swab की मूल फर्द, प्रदर्श क–7,

(e). धर्मशाला की उत्तरी Boundary wall की मुंडेर पर लगे खून के धब्बे सहित cement के टुकड़े की मूल फर्द, प्रदर्श क–8

(f). ब्रह्मचारी गुप्ता के मकान की छत, जहां मृतक का शव पड़ा था, के बगल में cemented फर्श से प्राप्त खून आलूदा के टुकड़े की फर्द, प्रदर्श क–9,

(g). धर्मशाला की उत्तरी Boundary wall की मुंडेर पर लगे खून की बगल से सादा cement के टुकड़े की मूल फर्द, प्रदर्श क–10

(h). ब्रह्मचारी गुप्ता के मकान की छत, जहां मृतक का शव पड़ा था, के बगल से सादा cement के टुकड़े की फर्द, प्रदर्श क–11,

(i). घटनास्थल का दृष्टिचित्र, प्रदर्श क–12,

(j). मूल आरोपपत्र, प्रदर्श क–13,

(k). प्राथमिकी, प्रदर्श क–14।

साक्षी P.W.–5 द्वारा न्यायालय के समक्ष सिद्ध साक्ष्य संबंधी वस्तुएं, प्रदर्शवार निम्नवत् हैं–

(i). चाकू, वस्तु प्रदर्श–1,

(ii). पहले बासी लिफाफे में, सफेद कागज की पुड़िया में दीवार की खुरचन निकली, वस्तु प्रदर्श–2,

(iii). पुड़िया, वस्तु प्रदर्श–3,

(iv). बासी लिफाफा–वस्तु प्रदर्श–4,

(v). दूसरे बासी लिफाफे में, एक सफेद पुड़िया में, swab–वस्तु प्रदर्श–5,

(vi). पुड़िया, वस्तु प्रदर्श–6,

WWW.LIVELAW.IN

(vii). बासी लिफाफा, वस्तु प्रदर्श–7,

(viii). तीसरा बासी लिफाफा खोलने पर सफेद कागज की पुड़िया में प्राप्त swab की रुई, वस्तु प्रदर्श–8,

(ix). पुड़िया, वस्तु प्रदर्श–9,

(x). लिफाफा, वस्तु प्रदर्श–10

(xi). चौथे बासी लिफाफा खोलने पर बासी कागज में लिपटा swab की रुई, वस्तु प्रदर्श–11,

(xii). बासी पुड़िया, वस्तु प्रदर्श–12,

(xiii). लिफाफा, वस्तु प्रदर्श–13,

(xiv). पांचवा बासी लिफाफा खोलने पर दीवार की मुंडेर से लिया गया फर्श के खून आलूदा का टुकड़ा, वस्तु प्रदर्श–14,

(xv). बासी लिफाफा, वस्तु प्रदर्श–15,

(xvi). छठा बासी लिफाफा खोलने पर प्राप्त शव के पास से लिया गया सीमेंट का सादा टुकड़ा, वस्तु प्रदर्श–16,

(xvii). बासी लिफाफा, वस्तु प्रदर्श–17,

(xviii). सातवां बासी लिफाफा खोलने पर, सफेद कागज में प्राप्त छत की दीवार के plaster के रक्त रंजित cement के टुकड़े, वस्तु प्रदर्श–18,

(xix). कागज, वस्तु प्रदर्श–19,

(xx). लिफाफा, वस्तु प्रदर्श–20,

(xxi). आठवां लिफाफा खोलने पर, सफेद कागज में, शव के पास से प्राप्त छत के फर्श के टुकड़े, वस्तु प्रदर्श–21,

(xxii). सफेद कागज, वस्तु प्रदर्श–22,

(xxiii). लिफाफा, वस्तु प्रदर्श–23,

(xxiv). नौवां लिफाफा खोलने पर, सफेद पुड़िया में सीढ़ी के नीचे से प्राप्त रक्त खुरचन, वस्तु प्रदर्श–24,

(xxv). सफेद पुड़िया में प्राप्त swab . वस्तु प्रदर्श–25,

(xxvi). सफेद पुड़िया, वस्तु प्रदर्श–26,

WWW.LIVELAW.IN

(xxvii). अखबार, वस्तु प्रदर्श–27,

(xxviii). लिफाफा, वस्तु प्रदर्श–28,

(xxix). मौके से बरामद नीले रंग की चप्पल, वस्तु प्रदर्श–29,

(xxx). कपड़ा, वस्तु प्रदर्श–30

(xxxi). माल पुलिंदा, वस्तु प्रदर्श–31,

(xxxii). Medicine का डिब्बा, वस्तु प्रदर्श–32।

6. P.W.–6 के रूप में पंचायतनामा के साक्षी/उपनिरीक्षक श्री चिदानंद प्रकाश को परीक्षित कराया गया, जिनके द्वारा न्यायालय के समक्ष सिद्ध अभिलेखीय प्रपत्र, प्रदर्शवार निम्नवत् हैं–

(a). पंचायतनामा, प्रदर्श क–15,

(b). नक्शा लाश, प्रदर्श क–16,

(c). फोटो लाश, प्रदर्श क–17,

(d). चिट्ठी E.M.O., प्रदर्श क–18,

(e). विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा की आख्या, प्रदर्श क–19।

आदेश दिनांक 09.07.2019 के माध्यम से अभियुक्तगण का अभिकथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(2/1974) अभिलिखित किया गया, जिसके माध्यम से अभियुक्तगण द्वारा तथ्य के साक्षीगण पी0डब्ल्यू– 1 व पी0डब्ल्यू–2 के साक्ष्य को ***असत्य*** बताया गया, साक्षी पी0डब्ल्यू–3 के साक्ष्य को ***औपचारिक*** बताया गया जबकि पी0डब्ल्यू–4, पी0डब्ल्यू–5 व पी0डब्ल्यू–6 के साक्ष्य को ***गलत*** बताते हुए, ***झूठा मुकदमा चलने*** का कथन किया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा यह भी कथन किया गया कि ***मैंने, पुलिस व मृतक के परिजनों को लाश की सूचना दी थी और शक के आधार पर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कायम कर दिया।*** अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा साक्ष्य देने का कथन किया।

प्रतिरक्षा पक्ष/अभियुक्तगण की ओर से–

1. DW-1 के रूप में भगवान दास पुत्र बाबूराम को परीक्षित कराया गया, जिनके द्वारा जनसूचना अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सूचना की प्रतिलिपि तथा

WWW.LIVELAW.IN

Devta Cold Storage की ओर से प्राप्त सूचना को, न्यायालय के समक्ष सिद्ध किया गया, जिन पर क्रमशः प्रदर्श ख–1 व प्रदर्श ख–2 डाला गया,

2. DW-2 के रूप में राम लखन पुत्र बादाम सिंह को परीक्षित कराया गया,

3. DW-3 के रूप में प्रदीप कुमार पुत्र देवता प्रसाद को परीक्षित कराया गया।

अभियुक्तगण की ओर से निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं भी दी गयीं–

1. State of UP Vs. Puttu Lal, [2005(52) ACC 615] Allahabad High Court,
2. Bhimappa Chandappa Hosamani & Ors. Vs. State of Karnataka, 2006(11) SCC 323,
3. Nagappan Vs. State by Inspector of Police, Tamil Nadu, 2013 AIR (SC) 3298,
4. Rajkumar @ Raju Vs. State of Rajasthan, 2013 AIR (SC) 3150,
5. Rajman Vs. State of U.P., 2020 Legal Eagle(Ald.) 351,
6. Raj kumar Vs. State of U.P., 2020 Legal Eagle(Ald.) 273,
7. Dhannu Singh & Ors. Vs. State of M.P., 1997 Legal Eagle (M.P.)169,
8. Harish Chandra Pandey Vs. State of U.P., 2016 Legal Eagle (Ald.) 2163,
9. Prempal & Ors. Vs. State of U.P., 2004 Legal Eagle (Ald.) 685.

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) का तर्क है कि अभियोजन कथानक को सिद्ध कराने हेतु कुल 6 साक्षीगण परीक्षित कराये गये, सभी साक्षीगण द्वारा अभियेाजन कथानक का समर्थन किया गया है। उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा साशय 5 वर्षीय बालक रंजीत सिंह उर्फ चुन्ना की हत्या की गयी। समस्त अभियोजन प्रपत्र विधिवत् सिद्ध हैं तथा अभियुक्तगण के अभिकथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(2/1974) से अभियोजन कथानक पर कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किए जाने हेतु प्रार्थना की गयी है।

जबकि प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन कथानक व आरोपों को निराधार बताते हुए, कथन किया गया है कि मात्र P.W.-2 के अपुष्ट व संदिग्ध साक्ष्य के आधार पर, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र

WWW.LIVELAW.IN

प्रेषित कर दिया गया। प्रारूपिक साक्षीगण के साक्ष्य अत्यंत औपचारिक प्रकृति के व विरोधाभासी हैं, जिनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक निराधार सिद्ध हो जाता है। तथ्य के दोनों साक्षीगण के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है तथा दोनों ही साक्षीगण घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभियुक्तगण को ससम्मान दोषमुक्त करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन पक्ष द्वारा, आरोपित अपराध को सिद्ध किए जाने हेतु प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य, संक्षेप में निम्नवत् हैं—

साक्षी P.W.—1 योगेंद्र सिंह पुत्र दारा सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किया गया कथन संक्षेप में निम्नवत् है—

घटना दिनांक 01.09.2015 समय 5:30 बजे की है। रंजीत उर्फ चुन्ना मृतक, मेरा पुत्र था, उसकी उम्र 4—5 वर्ष के लगभग थी। मेरा पुत्र अपनी मां श्वेता से कह कर गया था कि मैं अमरीश बाबा की दुकान पर जा रहा हूं। मैं उस दिन अपने गांव के बाजार, जरार, गया था। जब मैं 6:30 बजे सायं लौट कर आया तो मेरी पत्नी ने बताया कि रंजीत अमरीश बाबा की दुकान पर जाने की कहकर गया था, जो अभी तक वापस नहीं आया है, मैं घर से वापस अमरीश बाबा की दुकान पर गया तो दुकान बंद मिली, तब मैं वापस अपने घर लौट कर आया और अपने सभी परिवारीजन व पड़ोसियों के यहां देखा व उनसे पूछा तो उन्होने, उसके न आने व न देखने के संबंध में बताया, फिर हमने सारी रात उसे पूरे कस्बे में ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। दिनांक 02.09.2015 को, दिन के 11 बजे करीब, हमें खबर मिली कि कोतवाल धर्मशाला के पास, एक पुराने खाली मकान में, एक बच्चे की लाश पड़ी है तो हम लोग मय परिवारीजनों के जब वहां पहुंचे तो वहां देखा कि वह मेरे बच्चे की ही लाश थी। जब हम वहां पहुचे थे तो पुलिस वहां पर मौजूद थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पुत्र की हत्या नरेंद्र सिंह पुत्र भगवान दास व उसकी पत्नी श्रीमती नजमा, जो वर्तमान में कोतवाल धर्मशाला, जरार में रह रही थी, इन लोगों से काफी दिन पहले मेरा झगड़ा हो गया था, तब

WWW.LIVELAW.IN

इन्होने धमकी दी थी कि हम तेरा बुरा करके रहेंगे, इसी रंजिश को लेकर मेरे पुत्र की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी और ब्रहमचारी के बंद मकान में लाश डाल दी थी। हाजिर अदालत मुल्जिमान को देख कर कहा कि यही नरेंद्र सिंह व नजमा है। मौके पर पुलिस ने लाश का पंचायतनामा भरा था और लाश को seal कर Post-Mortem के लिए भेजा था। इसके बाद हमने दिनांक 02.09.2015 को थाने जाकर तहरीर अपने चाचा देवेन्द्र कुमार सिंह से बोल–बोल कर लिखावायी थी, जिसे सुनकर मैंने अपने हस्ताक्षर किए थे।

साक्षी P.W.–1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में किया गया कथन संक्षेप में निम्नवत् है–

घटना वाले दिन, मैं अपने घर पर था। दिनांक 01.09.2015 को 3–4 बजे, मैं अपने ट्रक मालिक के लड़के, धर्मेंद्र, निवासी रिमोटखेड़ा, थाना बाह को हिसाब देने गया था। मैं शाम को 6 बजे अपने घर आ गया था। जब मैं लौटकर आया तो मेरा लड़का रंजीत उर्फ चुन्ना घर पर नहीं था। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वह अंबरीश बाबा की दुकान की कहकर गया है। घटना के समय, चुन्ना के अलावा, एक लड़का, उम्र करीब साल भर, का था। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वह 5:30 बजे गया है। मुझे, मेरी पत्नी ने जैसे ही शाम बताया, मैं उसे तलाश करने के लिए अंबरीश की दुकान पर गया। अंबरीश की दुकान बंद थी। अंबरीश का घर, मेरे से चार–पांच घर छोड़कर है। घटना वाला दिन कौन सा था, मैं नहीं बता सकता। उसके बाद मैंने अंबरीश को फोन लगाया था। मुझे अंबरीश का फोन नंबर याद नहीं है। मैंने उस समय भी अपनी तहरीर रिपोर्ट में व 161 के बयानों में दरोगा जी को मोबाइल नंबर नहीं बताया था। उस रात मैंने भोला, धर्मेंद्र, सुशील, प्रवेंद्र, रामकिशोर, राकेश के साथ अपने पुत्र की तलाश की। मेरे घर से थाना 2 किलोमीटर दूर है। मैंने रात में पुलिस चौकी, जरार पर अपने पुत्र की गुमशुदगी की सूचना दी थी। उन दरोगाजी का नाम शायद ब्रहमचारी था। मेरा कुछ दिन पहले, करीब 1 साल पूर्व, नरेंद्र व नगमा से झगड़ा हुआ था। केवल गाली–गलौज हुई थी। उस समय नरेंद्र ने कहा था कि मैं तेरा बहुत

WWW.LIVELAW.IN

बुरा करूंगा। उस समय घटना वाले दिन मैं व राकेश, मोटर साइकिल पर जा रहे थे। नजमा के परिवार की एक महिला से राकेश का हाथ लग गया था। इस पर नजमा व नरेंद्र ने गाली–गलौज की थी। मैं, नजमा को पिछले 7–8 वर्षो से जानता हूं। नजमा के कितने बच्चे हैं, मुझे नही मालूम। नजमा मुसलमान है। मैं बचपन से ही वहां रहता हूं। नजमा चूड़ी की दुकान करती थी। मैं, नरेंद्र को तब से जानता हूं, जब से समझदार हुआ था। नरेंद्र हिंदू जाटव है। मैं नहीं बता सकता कि नजमा के कितने बच्चे हैं। मैं यह भी नहीं बता सकता कि नजमा के अपने मुस्लिम पति से चार बच्चे हैं, जिनमें से दो उनका पति ले गया है। मेरे पुत्र रंजीत उर्फ चुन्ना की लाश के बारे में, नजमा ने मेरे घर बताया था। मेरी पत्नी को सुबह 8–9 बजे नजमा ने बताया था , मैं उस समय जैतपुर एक तांत्रिक से पूछने गया था, फिर कहा कि मैं 8–9 बजे जैतपुर से घर की ओर लौट रहा था। मैं जब घर की ओर लौट रहा था, उस समय मेरी पत्नी श्वेता ने मुझे बताया कि लड़के की लाश खाली मकान में, ब्रहमचारी के मकान में पड़ी है। मैं, जैतपुर से अपने घर प्रातः 9 बजे लौटकर आया, उस समय मेरी पत्नी श्वेता अपने घर पर ही मौजूद थी। मैंने पत्नी द्वारा सूचना मिलने के बाद, पुलिस को फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बीच रास्ते मे था। मुझे यह पता नहीं कि नरेंद्र ने पुलिस को सूचना दी थी या नहीं। मैं, भोला के साथ घटनास्थल पर पहुंचा, वहां पुलिस पहले से मौजूद थी, मेरी पत्नी, वहां पर नहीं थी, घर पर थी। *मेरे पुत्र रंजीत की लाश के पास नरेंद्र व नजमा मौजूद थे और पुलिस भी मौजूद थी।* मैंने उसी समय, थाने पर जाकर लिखित तहरीर दी थी और उसी समय, नरेंद्र और नजमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यह कहना गलत है कि नजमा और नरेंद्र आपस में पति–पत्नी न हों। यह सही है कि मैंने नजमा और नरेंद्र की शादी होते नहीं देखा। दिनांक 02.09.2015 को, नजमा और नरेंद्र को, पुलिस ने करीब 9:30 या 10 बजे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने दोनों अभियुक्तगण के कब्जे से, अपराध से संबंधित कोई वस्तु बरामद नहीं की थी। तहरीरी रिपोर्ट, मैंने थाने में बैठकर, अपने चाचा देवेन्द्र सिंह से

WWW.LIVELAW.IN

करीब 8–9 बजे शाम, दिनांक 02.09.2015 को, लिखवायी थी। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण को दिनांक 02.09.2015 को 9:30 या 10 बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था लेकिन रिपोर्ट शाम को 8:9 बजे बैठकर लिखी थी। पुलिस ने, पंचनामें की कार्यवाही, शाम 4–5 बजे, थाने पर की थी। पंचनामा के समय, मेरे चाचा देवेंद्र सिंह, चाचा गोदाली और मेरे परिवारी लोग थे। मैं, रामलखन की धर्मशाला में होकर, उसकी छत पर गया था, वहां पर पड़ोसी ब्रहमचारी गुप्ता की छत पर, मेरे पुत्र की लाश पड़ी हुई थी। मैं, जब पहली बार मौके पर पहुंचा था तो पुलिस, मुझे ब्रहमचारी गुप्ता की छत पर, दिखायी दी थी। मैं फिर वापस लौट आया और ब्रहमचारी गुप्ता के दरवाजे से, उसकी छत पर गया। ब्रहमचारी के मकान का ताला किसने तोड़ा, मुझे नहीं मालूम। पूरा मकान खाली था। मुझे नहीं मालूम कि नरेंद्र अपने घर सोता था या नजमा के घर सोता था। पंचनामा की कार्यवाही, पुलिस ने आधा घंटे में समाप्त कर दी थी। घटनास्थल से एक बजे पुलिस ने लाश उठा ली थी, मैं उस समय पुलिस के साथ था। मेरी जानकारी में नहीं है कि सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, पुलिस ने क्या–क्या कार्यवाही की। यह कहना सही है कि इस बीच पुलिस ने Dog Squad Team को मौके पर बुलाया था लेकिन पुलिस व Dog Squad न तो नजमा के घर पर पहुंची, न ही नरेंद्र के घर पर पहुंची। यह कहना सही है कि नजमा का मकान, लाश वाले स्थान के बिल्कुल नजदीक है और नरेंद्र का मकान, थोड़ी दूरी पर है। पंचनामा भरने के बाद, पुलिस ने लाश को Post-Mortem हेतु, उसी दिन बाह अस्पताल भेज दिया था। Post-Mortem, अगले दिन हुआ था। मेरे बच्चे के गायब होने वाले दिन, एक व्यक्ति, मुझसे, मेरे घर, मिलने आया था, यह बात मुझे करीब 25 दिन बाद, उसी व्यक्ति ने बताया था लेकिन मेरी पत्नी ने आज तक नहीं बताया कि उस दिन मुझे कोई व्यक्ति पूछने आया था। यह कहना सही है कि मैं इस घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं हूं, न मैंने घटना होते देखी। यह कहना सही है कि मैंने शक के आधार पर नजमा और नरेंद्र को मुकदमें में नामजद कर दिया। मैं अपने पुत्र के गम में था, इसलिए मैंने

WWW.LIVELAW.IN

तुरंत प्राथमिक कराना मुनासिब नहीं समझा। कोतवाल धर्मशाला का मालिक रामलखन है। घटना से पूर्व से, कोतवाल धर्मशाला में स्कूल चलता था। बच्चों को रामलखन पढ़ाते थे। धर्मशाला में एक मंदिर है। नरेंद्र, उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हो तो यह मेरी जानकारी में नहीं है। मैं नहीं बता सकता कि इस धर्मशाला में क्या–क्या हुआ है। यह कहना गलत होगा कि उस दिन स्कूल चला हो। मैं यह नहीं बता सकता कि घटनास्थल पर, पुलिस के अलावा, कौन–कौन मौजूद था। मेरे सामने, मुल्जिमानों के पास से, अपराध से संबंधित कोई वस्तु बरामद नहीं हुआ था। वाकल सिंह से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। यह सही है कि वाकल सिंह मेरी जाति बिरादरी का है। वाकल सिंह, मुझसे मिलने आया था, क्यों मिलने आया था, उसने मुझे नहीं बताया था। वाकल सिंह ने मुझे बताया था कि घटना वाले दिन जरार से आलू भरकर महाराष्ट्र ले गया था। मौके का मुआयना पुलिस ने स्वयं किया था, मैंने नहीं कराया था। यह बात पूरी तरह सही है कि वाकल सिंह ने मुझसे आलू लादकर महाराष्ट्र जाने के लिए बताया था। मुझे तो उसने महाराष्ट्र की बात बतायी थी, रामलखन की नहीं बतायी थी। यह कहना सही है कि मैंने घटना होते हुए आखों से नहीं देखी थी। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं। मैं नहीं बता सकता कि रामलखन व अन्य मास्टर मौके पर थे या नहीं।

साक्षी P.W.–2 वाकल सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किया गया कथन निम्नवत् है–

दिनांक 01.09.2015 की बात है। तिवारी cold storage में आलू लदवाने गया था। गाड़ी संख्या– UP-75-H-8724, जो कि महेश का ट्रक है, उस पर मैं ड्राइवरी करता हूं। गाड़ी भरने में समय लग रहा था तो मैं योगेन्द्र सिंह, जो कि मृतक चुन्ना के पिताजी हैं, वह मेरे मित्र हैं, उनसे मिलने चला गया। योगेंद्र के घर से पहले नरेंद्र की पत्नी नजमा की गोद में मृतक चुन्ना उर्फ रंजीत सिंह को बैठे देखा था। नरेंद्र उसको कुरकुरे खिला रहा था। ये दोनो लोग अपनी चूड़ी व गुटखे की दुकान पर बैठे थे। उस समय करीब

WWW.LIVELAW.IN

5:30 बजे का समय था। वहां से मैं सीधे योगेंद्र के घर गया। घर पर योगेंद्र की पत्नी ने मना कर दिया कि वो घर पर नहीं है। वहां से गाड़ी पर वापस आया और अकोला, राजस्थान होते हुए, महाराष्ट्र चला गया। अकोला महाराष्ट्र में है। वहां से मैं करीब 25 तारीख को वापस आया तो जरार में मेरी योगेंद्र से मुलाकात हुई थी तो योगेद्र ने बताया कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गयी है तो मैंने योगेंद्र को बताया कि मैंने चुन्ना रंजीत सिंह को नरेंद्र और नजमा की दुकान पर बैठे देखा था तो योगेंद्र ने पूछा कि तुम Inspector साहब को ये बात बता दोगे तो मैंने कहा, मैं बता दूंगा। योगेंद्र मुझे Inspector साहब के पास ले गये थे, वहां मैंने Inspector साहब को बताया कि नजमा की दुकान पर चुन्ना को दिनांक 01.09.2015 को देखा था। नरेंद्र उसे कुरकुरे खिला रहा था। नजमा गोद में लेकर बैठी थी। मैं योगेन्द को इसलिए जानता हूं क्योंकि वह भी गाडी चलाता है और मैं भी गाडी चलाता हूं। दरोगा जी ने मुझसे यही पूछताछ की थी। हाजिर अदालत मुल्जिमान नरेंद्र सिंह व नजमा को देखकर यही कहा कि यह वही लोग हैं, उस दिन दुकान पर मौजूद थे, जिनकी गोद में बैठे बच्चे चुन्ना उर्फ रंजीत को देखा था, यही अभियुक्त नरेंद्र उसे कुरकुरे खिला रहा था।

साक्षी P.W.–2 वाकल सिंह पुत्र भगवानदास द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *मैं अनपढ़ व्यक्ति हूं। मैं केवल अपने हस्ताक्षर कर लेता हूं। मुझे ट्रक चलाते हुए आठ साल हो गया है। मेरा License आगरा जिले से बना है। मैं अपनी आराध्य कैलादेवी व अपने देवताओं को मानता हूं। न्यायालय में मौजूद पैरोकार सदर को देखकर कहा कि मैं नहीं बता सकता कि दरोगा या इंस्पेक्टर की वर्दी में कितने स्टार लगते हैं।* ***मुझे तो योगेंद्र बाह में ले गया था।*** *बाह में Inspector के तीन स्टार लगे थे। मुझे Inspector का नाम नहीं मालूम। दिनांक 01.09.2015 को मैं तिवारी cold storage, बाह पर आलू लदवाने के लिए आया हुआ था। मैं, मैनपुरी से माल, तिवारी cold storage लाया था। तिवारी cold storage के बराबर में एक पेट्रोल पंप है, cold storage का नाम ही देवता cold storage है। मेरा बयान*

WWW.LIVELAW.IN

भी सही है कि मैं तिवारी cold storage व देवता cold storage दोनो ही बाह पर हैं। दोनों cold storage एक ही हैं। फिर कहा दोनों cold storage एक नहीं है। तिवारी cold storage का नाम देवता cold storage है। मैंने दरोगाजी को बताया था कि देवता cold storage से आलू भरकर गए थे। मैंने दरोगा जी को तिवारी cold storage का नाम नहीं बताया था। तिवारी cold storage नहीं है, देवता cold storage के मालिक को तिवारी कहते हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि देवता cold storage का manager कौन था। यह कहना गलत होगा कि दिनांक 01.09.2015 को ट्रक संख्या UP-75-H-8724 को लेकर मैं देवता cold storage न गया हूं। यह कहना गलत है कि दिनांक 01.09.2015 को मैंने देवता कोल्ड स्टोरेज से कोई गाड़ी load न की हो। अभियुक्तगणों की दुकान के आस–पास अन्य दुकाने है लेकिन किस–किस की हैं, मैं यह नहीं बता सकता। घटना के समय, मेरे पास जो mobile था, उसका number मुझे याद नहीं है। आज मेरे पास mobile है जिसका number 8954105947 है। मेरे मामा का नाम रमेश है, उनके लड़के का नाम धर्मेंद्र है। जो मैं ट्रक चलाता हूं, उसके मालिक का नाम महेश है। धर्मेंद्र चार भाई हैं, जो मेरे मामा रमेश के लड़के हैं, जिनके नाम धर्मेंद्र, राजकुमार, हरी सिंह, भुलजा हैं। मेरे मामा कुल तीन भाई हैं। शेष मेरे दो मामाओं के नाम हीरा सिंह व सुरेश है। हरी सिंह के चार लड़के हैं, जिनके नाम लाखन, मनोहर, सुभाष व लखपत है। सुरेश के दो लड़के हैं, जिनके नाम बंदू और रामवीर है। इन तीन मामाओं व उनके लड़को के अलावा, मेरा कोई मामा नहीं है, न ही ममेरा भाई है। महेश नाम का न तो मेरा मामा है और न ही ममेरा भाई है। मैंने यह बयान नहीं दिया कि मेरे मामा के लड़के महेश का ट्रक है, जिसे मैं चलाता हूं। नरेंद्र की शादी हुई है या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। नजमा के चार छोटे बच्चे हैं, इसकी भी जानकरी नहीं है। नजमा हिंदू या मुसलमान, मुझे नहीं पता। नरेंद्र व नजमा किस बिरादरी के हैं, मुझे नहीं मालूम। योगेंद्र सिंह से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं, दिनांक 01.09.2015 को देवता cold storage से आलू लादकर मैं अकोला,

WWW.LIVELAW.IN

महाराष्ट्र ले गया था। मैं, चार–पांच दिन बाद, ट्रक लेकर अकोला मंडी, महाराष्ट्र पहुंच गया था, उसके बाद, एक दिन अकोला मंडी, महाराष्ट्र ही रूका था। अकोला, महाराष्ट्र से मैं कहां गया था, मुझे याद नही है। मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि दिनांक 01.09.2015 से दिनांक 25.09.2015 तक, मैं कहां गया था, क्या–क्या सामान load किया या unload किया। वह जगह मैंने नहीं देखी थी, जहां चुन्ना की लाश पड़ी थी। नरेंद्र की दुकान के आस–पास दुकान है, लेकिन किस–किस की हैं, मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैंने दिनांक 01.09.2015 को, ट्रक संख्या UP-75-H-8724 में देवता cold storage से आलू load न किए हों। यह भी कहना गलत है कि उस दिन, मैं देवता cold storage पर पहुंचा ही न होऊं। यह कहना गलत होगा कि मैंने चुन्ना को नजमा की गोद में बैठे हुए या नरेंद्र को कुरकुरे खिलाते हुए न देखा हो। यह कहना सही है कि मैंने आज न्यायालय में पहली बार तिवारी cold storage बताया है। यह कहना भी सही है कि मैंने दरोगा जी को तिवारी cold storage न बताकर, देवता cold storage बताया है। यह कहना गलत है कि मैंने कोई घटना न देखी हो और आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं।

साक्षी P.W.–3 डॉ0 रामगोपााल सिंह, (चिकित्साधिकारी) द्वारा मुख्य परीक्षा के माध्यम से, शव विच्छेदन आख्या की प्रारूपिक सत्यता को सिद्ध करते हुए, कथन किया गया है कि दिनांक 03.09.2015 को मैं C.H.C., बाह, आगरा में तैनात था। उस दिन 8:00 A.M. पर, रंजीत उर्फ चुन्ना का seal बंद शव Post-Mortem के लिए प्राप्त हुआ था। रंजीत के पिता का नाम योगेंद्र सिंह था। रंजीत की उम्र 5 वर्ष व निवास धोबी, जरार, थाना बाह, आगरा था। शव की seal दुरूस्त थी। रंजीत के शव/शरीर का परीक्षण, मेरे द्वारा, उसी दिन 8:00 A.M. पर किया गया था।

शव विच्छेदन आख्या निम्नवत् है–

वाह्य परीक्षण

शव की लंबाई 2 फीट, 3 इंच, वजन 20 किलो, कद काठी औसत, मृत्यु

WWW.LIVELAW.IN

पश्चात् अकड़न पूरे शरीर पर मौजूद थी। शव में सड़न प्रारंभ होने वाली थी, आंख व मुंह खुले हुए थे। पूरे शरीर पर निम्न चोटें थी–

1. *फटा हुआ घाव **8 x 2** सेमी माथे पर मौजूद था,*
2. *गर्दन के ऊपरी हिस्से में फटा हुआ घाव 9 x1.5 **skin deep** थी,*
3. *ठोड़ी के ऊपर 3 **x 2** सेमी फटा हुआ घाव मौजूद था,*
4. *पेट के ऊपर epigastric region में 1 **x 1** सेमी का फटा हुआ घाव था,*
5. *टुंडी (नाभि) से 2 सेमी ऊपर 5 **x 2** का फटा हुआ घाव था,*
6. *छाती के दाहिने तरफ नीचे की ओर 2 **x 2** सेमी फटा घाव मौजूद था,*
7. *बाएं पैर के निचले हिस्से में 2 **x 2** सेमी का नीलगू और सूजन मौजूद थी।*

ये सारी चोटें ऐसी थी, जिसमें Skin, Muscles, Arteries, Veins & Nerves सभी पूरी तरह कटे हुए थे।

<u>आंतरिक परीक्षण</u>

श्वासनली कटा हुआ था, माथे पर Frontal Bone टूटी हुई थी, फेफड़ें Pale थे, हृदय के दोनो Chamber खाली थे, गर्दन की बड़ी रक्त नली कटी हुई थी, पेट के अंदर की दीवाल फटी हुई थी, आमाशय खाली था, छोटी आंत में पचा हुआ खाना और गैस थी, Liver Pale था और Gall Bladder Pale था, Pancreas और दोनो गुर्दे Pale थे, मूत्राशय खाली था।

मेरी राय में मृत्यु का समय, Post-Mortem से 2 से 3 दिन पूर्व का रहा होगा। मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्त्राव के कारण Shock एंव Hemorrhage था, जो मृत्युपूर्व चोटों के कारण हुई थी।

श्वासनली पर आयी चोट, किसी धारदार हथियार से आना संभव है तथा शेष चोटें Hard & Blunt वस्तु से आनी संभव है।

Post-Mortem के पश्चात, शव को सफेद कपड़े में seal कर, साथ आए, Police Constable को सौंप दिया था। सभी पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन कर, लिफाफे में seal कर, साथ आए पुलिस को सौंप दिया था। शव का परीक्षण report, उसी समय अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था।

WWW.LIVELAW.IN

साक्षी P.W.–3 डॉ0 रामगोपाल सिंह, (चिकित्साधिकारी) द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *चोट नंबर 1 लगायत 7, सारी चोटें, मैंने फटे हुए घाव दिखाए हैं और आंतरिक परीक्षण में, श्वास नली में कटा घाव पाया है। यह सही है कि वाह्य परीक्षण में मैंने कटा नहीं पाया था लेकिन आंतरिक परीक्षण में श्वास नली में कटा था। यदि घाव का Margin Regular नहीं रहता है तो हम लोग फटा हुआ घाव कहते हैं। जिस अंग में खून नहीं रहता है, उसे Pale कहते हैं। उसका रंग हल्का पीला होता है। मैं अब तक 100 से अधिक Post-Mortem कर चुका हूं। यह सही है कि मैंने मृत्यु का समय, 2–3 दिन पूर्व का लिखा है। यह Post-Mortem दिनांक 03.09.2015 को प्रातः 8 बजे किया था। मृत्यु का जो समय मैंने लिखा है, वह संभावित समय होता है, 12 घंटे आगे–पीछे हो सकते हैं। संभावित समय, शव में विद्यमान Rigor Mortis के आधार पर लिखा हूं। मैं नही बता सकता कि मृतक की मृत्यु दिनांक 01.09.2015 को, प्रातः 8 बजे से पूर्व, किस समय पर हुई हो।*

साक्षी P.W.–4 उपनिरीक्षक प्रेमपाल सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि *दिनांक 02.09.2015 को थाना कार्यलेख पर मौजूद था। समय करीब 12:30 बजे, योगेंद्र सिंह पुत्र दारा सिंह, मोहल्ला धोबी गली, जरार, थाना बाह, आगरा मय हमराही गोपाल सिंह पुत्र स्व0 भगवान सिंह व भूपेंद्र सिंह पुत्र श्री संतोष सिंह ने थाना बाह, आगरा में उपस्थित आकर, एक किता तहरीर हिंदी लिखित, दस्तखती खुद के बताते हुए, अभियुक्तगण नरेंद्र सिंह पुत्र भगवान दास व नजमा पत्नी नरेंद्र सिह द्वारा, मेरे पुत्र रंजीत सिंह उर्फ चुन्ना, उम्र करीब 5 वर्ष को, चाकुओं से गोदकर हत्या कर देने के संबंध में दाखिल की गयी। इस तहरीर पर मुहर H.M. द्वारा, चिक संख्या 115/15 किता कर, मुकदमा अपराध संख्या 310/15, अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0, दिनांक 01.09.2015 को, समय 17:30 बजे, दिनांक 02.09.2015, समय 11 A.M. के मध्य, घटनास्थल, कोतवाल धर्मशाला के पास, ब्रहमचारी गुप्ता के मकान की छत, जरार, किता की गयीं, उसी समय इसका खुलासा मैंने G.D.*

WWW.LIVELAW.IN

No.- 24, समय 12:30, दिनांक 02.092015 को किया।

साक्षी P.W.– 4 उपनिरीक्षक प्रेमपाल सिंह द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *जब वादी तहरीर लेकर आया, उस समय प्रभारी निरीक्षक थाने पर मौजूद थे। मैं, दिनांक 02.09.2015 को सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, कार्यालय थाने पर तैनात था। उस दिन मैंने दो मुकदमें एक N.C.R., एक F.I.R. पंजीकृत की थी, मैंने थाने पर Duty के दौरान शाम 7 बजे N.C.R. अंकित की थी। वादी की तहरीर पर, मैनें प्राथमिकी 12:30 बजे दोपहर पंजीकृत की थी। तहरीर प्राप्त होने पर, मैनें, G.D. में इंद्राज किया था। G.D. इंद्राज करने में मुझे 10 मिनट का समय लगा था। G.D. लिखने के उपरांत, मैंने 12:40 पर, चिक किता की थी। मैं थाने पर, अकेला, कार्यालय पर मौजूद था, अन्य कोई नहीं था। बच्चे रंजीत उर्फ चुन्ना की हत्या के बाबत सूचना 12:30 बजे मिली थी। इससे पहले रंजीत उर्फ चुन्ना के संबंध में, किसी भी पुलिसकर्मी की जानकारी में नही था और न ही किसी पुलिसकर्मी ने रंजीत की हत्या के संबंध में घटनास्थल पर जाने की रवानगी G.D. पर अंकित करायी। दिनांक 01.09.2015 को, रंजीत उर्फ चुन्ना के गायब होने की गुमशुदगी, वादी ने थाने पर दर्ज नहीं करायी थी। दिनांक 01.09. 2015 को कौन पुलिसकर्मी कार्यलेख पर था, मैं नहीं बता सकता। दिनांक 01.09.2015 को, मेरी Duty कहां थी, इस समय नहीं बता सकता, G.D. देखकर बता सकता हूं। यदि वादी ने न्यायालय में यह बयान दिया है कि साढ़े नौ या दस बजे, पुलिस ने नरेंद्र व नजमा को गिरफ्तार कर लिया था, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यह कहना गलत है कि वादी ने साढ़े बारह बजे कोई तहरीर लिखकर थाने पर दी थी। यह कहना गलत है कि वादी ने, मुझे दिनांक 02.09.2015 को, थाने में बैठकर, अपने चाचा देवेन्द्र सिंह से रिपोर्ट लिखवाकर, करीब 8–9 बजे शाम दी हो। यह कहना गलत है कि दोनो मुल्जिमानों को पुलिस ने थाने पर पहले गिरफ्तार पर लिया हो, उसके बाद तहरीर लिखी हो। मुझे जानकारी नहीं है कि Dog Squad को बुलाने की सूचना, थाने से किसने दी थी तथा कितने बजे Dog Squad* ध

WWW.LIVELAW.IN

टनास्थल पर पहुंचा था। मैं विगत 26 वर्षो से पुलिस में तैनात हूं और पुलिस के कार्यकलापों से वाकिफ हूं। Dog Squad की आमद तब होती है, जब आ जाते हैं। Dog Squad का काम, घटनास्थल पर अभियुक्त द्वारा छोड़े गए सबूत को उठाना, पहचान अभियुक्त की कराना है। इसके साथ Finger Print के लिए विशेष टीम आती है, जिसका काम घटनास्थल से अभियुक्त की छाप खून, सादा मिट्‌टी उठाना है तथा उनको लेकर थाने में जमा करना होता है, घटना के संबंध में खून मिट्‌टी व सादा मिट्‌टी विवेचक को प्राप्त कराते है और विवेचक उन्हे विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजते हैं। ये वस्तुएं क्षेत्राधिकारी के माध्यम से भेजी जाती हैं। बिना G.D. देखकर ये नहीं बता सकते कि प्रयोगशाला परीक्षण कितने दिनों बाद भेजा जाता है। मैं नहीं बता सकता कि घटनास्थल पर, जब Dog Squad व पुलिस की टीम पहुंची, उस समय नजमा व नरेंद्र मौके पर मौजूद थे या नहीं। यदि घ टनास्थल पर, अपराध से संबंधित कोई वस्तु या हथियार बरामद होता है तो विवेचक अपनी वापसी में थाने पर दाखिल करता है। दिनांक 02.09.2015 को विवेचक मुकदमा S.H.O. श्री ब्रहम सिंह, S.I. श्री चिदानंद प्रकाश, Constable 3756 प्रदीप कुमार, Constable 89 अमित कुमार, Constable 2358 योगेंद्र सिंह, घटनास्थल के लिए दोपहर 12:30 पर G.D. No.- 24 से रवाना किए गए। दिनांक 02.09.2015 को, उपरोक्त पुलिस कर्मियों की रवानगी के उपरांत, दिनांक 02.09.2015 को, रात 12 बजे तक, किसी भी पुलिसकर्मी की वापसी का इंद्राज नहीं है। यह कहना सही है कि थाने के निरीक्षक के आदेश का पालन हम लोग करते हैं। यह कहना गलत है कि उनके मना करने पर F.I.R. नहीं लिखी जाती है व आदेशित करने पर F.I.R. लिखी जाती है। यह कहना गलत है कि दिनांक 02.09.2015 को, नरेंद्र व नजमा प्रातः 9–10 बजे थाने पर मौजूद हों और मैंने प्रभारी निरीक्षक के कहने पर, उसका इंद्राज G.D. में नही किया। यह कहना गलत है कि विपरीत समय में F.I.R. पंजीकृत है।

साक्षी P.W.–5 विवेचक/प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रहम सिंह द्वारा अपनी

WWW.LIVELAW.IN

मुख्यपरीक्षा के माध्यम से प्रदर्श क–4 लगायत प्रदर्श क–14 को सिद्ध करते हुए, *वस्तु प्रदर्श –1 लगायत वस्तु प्रदर्श–32 को औपचारिक रूप से सिद्ध किया गया।*

साक्षी P.W.–5 विवेचक/प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रहम सिंह द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के माध्यम से कथन किया कि *जो वस्तु प्रदर्श–1 लगायत 32 है, का संग्रह मेरे द्वारा Field Unit Team की मदद से किया गया था। चप्पल, चाकू को मेरे द्वारा कब्जे में लिया गया था। जो Field Unit द्वारा सामान कब्जे में लिया था, उसका भी सील मुहर मेरे द्वारा किया गया था, Field Unit द्वारा नहीं किया गया था। चाकू को किसी कपड़े मे सील मुहर नहीं किया था। सील किए गए लिफाफे पर जो मुकदमें का विवरण लिखा है, वह मेरे द्वारा लिखा गया तथा सभी लिफाफों पर, मेरे द्वारा सील लगायी गयी थी, जो अब भी मौजूद है। किसी भी लिफाफे पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की सील नहीं लगी है, सभी लिफाफों पर मोहर है, जिन पर दिनांक 02.09. 2015 अंकित है। चप्पल व दीवार की खुरचन पर, दिनांक 08.09.2015 अंकित है। लिफाफों पर, 2015 का पांच, सभी लिफाफों पर, मेरे ही लेख में है व एक समान है। इस मुकदमे की Case Diary, दौरान विवेचना, मेरे द्वारा लिखी गयी है, सभी लिफाफों पर वस्तु प्रदर्श पड़ा। दिनांक 02.09.2015 का पांच व Case Diary के पर्चे नंबर 1 का 15 का 5 अपास में मेल खाते हैं।*

प्रश्न– *Case Diary व लिफाफो पर लिखी लिखावट में अंतर है, इस संबंध में आपको क्या कहना है?*

उत्तर– *कोई अंतर नहीं है।*

इस मुकदमें की सूचना मुझे मिली थी लेकिन समय नहीं बता सकता। मैं मौके पर साढ़े बारह के बाद पहुंचा था। साढ़े बारह बजे, वादी द्वारा F.I.R. थाने पर करायी गयी थी, जब मुझे सूचना मिली थी, तब मैं थाने पर मौजूद था। यह सही है कि मैं साढ़े बारह बजे थाने पर मौजूद था। मुझे यह ध्यान नहीं है कि वादी थाने से घटनास्थल, मेरे साथ गया था या मुझसे पहले पहुंचा था। जब मैं घटनास्थल पहुंचा तो मुझसे पहले मौके पर पुलिस चौकी,

WWW.LIVELAW.IN

जरार के Constable राजेन्द्र बाबू मौजूद थे। इनके अलावा अन्य कोई पुलिसकर्मी नहीं था। मौके पर हजारों की संख्या में भीड़ थी। घटनास्थल पर सबसे पहले शव, वादी मुकदमा ने देखा था। मुझे, वादी मुकदमा ने, मृतक के शव को, दिन के 11 बजे देखना बताया था। इस मुकदमें का दौरान विवेचना कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला था। माल मुकदमा, जो मौके पर मेरे व Field Unit द्वारा एकत्र किया गया था, वह सील मुहर किया गया था, सारा माल मौजूद है। वस्तु प्रदर्श 32 को, मेरे द्वारा मौके पर सील नहीं किया गया था, न ही उसका उल्लेख फर्द में हैं। वस्तु प्रदर्श–32, इस माल के साथ कहां से आया, मैं नहीं बता सकता। मेरे द्वारा, मौके से, समस्त सामान को, अलग–अलग प्लास्टिक के डिब्बों में सील मुहर किया गया था, उक्त प्लास्टिक के डिब्बे मेरे सामने नहीं है। मेरी जानकारी में नहीं है कि वे प्लास्टिक के डिब्बे कहां होगें। मैंने, उक्त सभी प्लास्टिक के डिब्बे, जिनमें सील मुहर किया था, उनको विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था। मौके पर Dog Squad व Field Unit को, मैंने ही बुलाया था। जिस कमरे की छत पर लाश पड़ी थी, उस छत पर, मैं, छत के बराबर से बनी, धर्मशाला की छत से होकर गया था। धर्मशाला की छत व जहां लाश पड़ी थी, उस छत की उंचाई बराबर नहीं है, जिस मकान की छत पर लाश पड़ी थी, वह बहुत पुराना मकान है व बंद पड़ा था। मौके पर धर्मशाला की छत से होकर, Field Unit व Dog Squad, धर्मशाला की छत से होकर गए थे। लाश जहां पड़ी थी, वह ब्रह्मचारी का मकान था, जो सालों से बंद पड़ा था, जहां से, धर्मशाला की छत की उंचाई करीब 10 फीट रही होगी। जिस धर्मशाला से हम गए थे, उसमें मुल्जिम नजमा रहती थी। जब मैं वहां पहुंचा, तब नरेंद्र व नजमा मौके पर नहीं थे। ***Dog Squad Team नजमा व नरेंद्र के घर तक गयी थी या नही, मुझे नहीं मालूम। मेरी जानकारी में यह बात थी कि मुल्जिमान F.I.R. में नामजद हैं, इसके बाबजूद मैंने नजमा का घर खुलवाकर नहीं देखा था।*** *कोतवाल धर्मशाला के मालिक रामलखन का बयान नहीं लिया था। यह बात मेरी जानकारी में है कि कोतवाल धर्मशाला में रामलखन का स्कूल चलता था। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मैं,*

WWW.LIVELAW.IN

जब घटनास्थल पर पहुंचा, तब स्कूल के बच्चे व अध्यापक धर्मशाला में मौजूद थे या नहीं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, महानगर, लखनऊ की घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट, दिनांकित 02.09.2015, जो पत्रावली पर मौजूद है, को देखकर साक्षी ने कहा कि यह रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में नहीं है, न ही मैंने तैयार की थी और न ही मैंने तैयार करने वाले विशेषज्ञ गीता रानी, हरेंद्र कुमार, सतेंद्र कुमार से कोई पूछताछ की, न ही बयान लिए थे लेकिन यह रिपोर्ट मैंने केवल मूल रूप से विवेचना में शामिल की है। Field Unit वालों ने कोई Finger Print के निशान नहीं लिए थे, फिर कहा याद नहीं है, लिए थे या नहीं। ***मैंने Finger Print के निशान के मिलान हेतु किसी अन्य F.S.L. में जांच हेतु नहीं भेजी थी क्योंकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने से पूर्व मेरा तबादला, थाना बाह से एत्मादपुर हो चुका था। मुकदमें में आरोप पत्र मेरे द्वारा लगाया गया है। Finger Print की जांच हेतु चाकू को मेर द्वारा किसी F.S.L. नहीं भेजा गया था।*** *यह कहना गलत है कि मैनें Finger Print मिलान हेतु F.S.L. इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मुल्जिम निर्दोष साबित हो जाते। यह भी नहीं कहा जा सकता कि चाकू पर नजमा या नरेंद्र के Finger Print थे या नहीं। वाकल सिंह का बयान, मैनें, दिनांक 25.09.2015 को लिया था। उसने मुझे बताया था कि वह ट्रक संख्या– UP-75-H-8724 का ड्राइवर है, ट्रक का मालिक उसके मामा का लड़का है। उसने मुझे यह नही बताया था कि दिनांक 01.09.2015 को, उक्त ट्रक में, आलू भरने के लिए देवता cold storage, बाह पर आया था। ट्रक भरने में कई घंटो का समय लग जाता है, इसलिए मैं वहां ट्रक खड़ा करके योगेंद्र सिंह से, उसके घर, मिलने आया था। मैंने देखा था कि मृतक चुन्ना को नजमा गोद में लेकर बैठी थी, मुझे योगेंद्र घर पर नहीं मिला। मैं वापस cold storage जाकर ट्रक भरवाकर अकोला, राजस्थान चला गया। यह कहना सही है कि इस पूरी विवेचना में केवल वाकल सिंह ने अभियुक्तों के विरूद्ध बयान दिया था।* ***यह कहना सही है कि वाकल सिंह ने घटना के 23–24 दिन बाद, पहली बार आकर अपना बयान अंकित कराया और मैंने इस बयान को सही मानकर आरोपत्र दाखिल कर दिया।***

WWW.LIVELAW.IN

प्रश्न– *आपने साक्षी वाकल सिंह के द्वारा दिए गए बयान की सत्यता को जांचने का कोई प्रयास नहीं किया?*

उत्तर– वाकल ने मुझे सही बयान दिया था, इसलिए मैंने जांचने की कोशिश नहीं की थी।

मैंने देवता cold storage पर यह जानकारी नहीं की थी कि उक्त ट्रक, उक्त तिथि को, cold storage आया था या नहीं। दिनांक 26.09.2015 को राजेश पुत्र श्री किशन निषाद, निवासी राजा राम का पुरा को तलब करने का, यह कारण नहीं था कि मैं इससे पूर्व की विवेचना से स्वयं संतुष्ट नहीं था। मुझे, वादी ने, अपने दिए गए बयान में यह नहीं बताया था कि उसकी पत्नी को, चुन्ना की लाश मिलने की सूचना प्रातः 8 या 9 बजे दी गयी हो। वादी ने मुझे अपने बयान में यह बात नहीं बतायी थी कि दिनांक 02.09.2015 को, जब वह सुबह 8–9 बजे जैतपुर से वापस आ रहा था, तब उसकी पत्नी श्वेता ने लड़के की लाश ब्रह्मचारी के मकान की छत पर मिलने की सूचना मुझे दी थी। वादी ने मुझे दिए गए बयान में यह नहीं बताया था कि चुन्ना की लाश मिलने की सूचना, चौकी जरार पर दी थी। मुझे वादी ने यह भी नहीं बताया कि वह, सूचना मिलने पर, जब तुरंत मौके पर पहुंचा, तब वहां पुलिस पहले से मौजूद हो तथा यह भी नहीं बताया कि मृतक की लाश के पास अभियुक्त नजमा व नरेंद्र मौजूद रहें हों। वादी का यह कहना गलत होगा कि दिनांक 02.09.2015 को ही नजमा व नरेंद्र को पुलिस ने करीब 9:30 या 10 बजे गिरफ्तार किया था। ***यह कहना सही है कि अभियुक्तगण के कब्जे से अपराध संबंधी कोई वस्तु बरामद नहीं हुई थी।*** *मुझे वादी ने यह बात भी नहीं बतायी थी कि मैं सुबह 9 बजे, ब्रह्मचारी के मकान से होकर छत पर गया था।* ***मैंने मृतक के पिता के अलावा किसी अन्य परिजन का बयान नहीं लिया था।*** *वादी ने मुझे यह बयान नहीं दिया था कि मैंने शक के आधार पर अभियुक्तों को नामजद किया था। यह कहना गलत होगा कि मैंने सारी विवेचना थाने पर बैठकर की हो तथा बिना किसी साक्ष्य के, गलत तथ्यों के आधार पर, आरोपपत्र दाखिल किया हो तथा उक्त आरोपपत्र, राजनैतिक दबाव में आकर दाखिल किया हो।*

WWW.LIVELAW.IN

P.W.–6 के रूप में पंचायतनामा के साक्षी/उपनिरीक्षक चिदानंद प्रकाश द्वारा, अपनी मुख्यपरीक्षा के माध्यम से, प्रदर्श क–15 लगायत प्रदर्श क–18 को सिद्ध करते हुए, कथन किया गया है कि *दिनांक 02.09.2015 को, मैं, थाना बाह में, बतौर sub-inspector तैनात था। उसी दिन, समय करीब 12:30 बजे, मुझे सूचना मिली, जिस पर मैं, प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मसिंह के निर्देशानुसार, आरक्षी 1675 राजेंद्र बाबू, आरक्षी 2358 योगेंद्र सिंह को साथ लेकर, मय जिल्द पंचायतनामा, थाना हाजा से रवाना होकर, घटनास्थल पर आया, जहां मृतक रंजीत उर्फ चुन्ना पुत्र योगेंद्र सिंह, आयु लगभग 5 वर्ष, निवासी मोहल्ला धोबी, जरार, थाना बाह, आगरा के शव का पंचायतनामा 13:10 बजे प्रारंभ किया।*

P.W.–6 के रूप में पंचायतनामा के साक्षी/उपनिरीक्षक चिदानंद प्रकाश द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के माध्यम से कथन किया गया कि *चौकी घटनास्थल से 600–700 मीटर दूर है तथा घटनास्थल से थाने की दूरी 3 कि0मी0 है। घटना की सूचना के समय, मैं थाने पर मौजूद था। मैं सुबह से ही थाने पर मौजूद था क्योंकि मेरा क्वाटर वहीं है। मैं ड्यूटी के अनुसार, थाने व चौकी जाता था। जब मैं घटनास्थल पर गया था, उस समय मेरे साथ दो सिपाही थे, जो मेरे साथ गए थे। मेरे घटनास्थल पर पहुंचने के 15 मिनट बाद सभी अधिकारी आ गए थे। घटनास्थल पर ब्रहमचारी गुप्ता मौजूद नहीं था। मैं नरेंद्र व नजमा से पहले से परिचित नहीं था, इसलिए नहीं बता सकता कि ये दोनेा लोग मौजूद थे या नहीं। अभियुक्त नरेंद्र व नजमा के मकान के बराबर में घटनास्थल ब्रह्मचारी गुप्ता के मकान से, अभियुक्तगण का मकान समान ऊंचाई पर है। फिर कहा कि 6 फीट ब्रह्मचारी का मकान नीचे है। यह हो सकता है कि ब्रह्मचारी के मकान से अभियुक्तगण का मकान करीब 20 फीट ऊंचा हो। यह कहना गलत है कि घटनास्थल के बगल वाले मकान में, मकान का मालिक रामलखन हो और उसका कोई स्कूल चल रहा हो। मैं यह नहीं बता सकता कि यह मुकदमा थाने पर कब पंजीकृत हुआ था लेकिन थाने पर 16:10 के पूर्व, मुकदमा पंजीकृत हो चुका*

WWW.LIVELAW.IN

था। मेरे साथ वादी मुकदमा घटनास्थल पर नहीं गया था। घटनास्थल पर वादी मौजूद था। मेरे पहुंचने से पहले ब्रह्मचारी के मकान का ताला टूट चुका था, किसने तोडा, मुझे नहीं पता, न ही किसी ने बताया था। यह कहना सही है कि मैं चौकी पर मौजूद नहीं था, इसलिए वादी सूचना देने थाने गया था। मैं यह नहीं बता सकता कि थाने पर सूचना किसने दी थी। घटनास्थल पर लोगो ने मुझे बताया था कि शव ब्रह्मचारी की छत पर है। अभियुक्तगण के मकान से, ब्रह्मचारी गुप्ता के मकान में होकर, ब्रह्मचारी के मकान में गए थे। <u>चौकी पर गुमशुदगी की सूचना नही मिली थी। मुझे जानकारी नहीं है कि गुमशुदगी की सूचना थी या नही।</u> घटनास्थल पर मेरे पहुंचने के बाद Field Unit व Dog Squad आ गये थे। Field Unit व Dog Squad, पंचायतनामा की प्रकिया के बाद तक मौके पर रहे। फिर Field Unit ने खून के धब्बे, खून की swab व खुरसट, एक चाकू सब्जी काटने वाला, खून से सना हुआ, building से बराबर वाले मकान की छत से बरामद किया था। <u>मैंने यह जानने की कोशिश नहीं की थी कि किसके नाम मुकदमा लिखा गया है, क्या रंजिश थी, क्योंकि उस समय भारी जनाक्रोश था।</u> शव पर जो चोटें थी, सभी मैंने अंकित की है। F.I.R. की Copy, मेरे पहुंचने के बाद, किसी पुलिस कर्मचारी द्वारा, मुझे उपलब्ध करायी गयी। मैं नहीं बता सकता कि सुबह 8–9 बजे, चुन्ना की लाश के बारे में, नजमा ने वादी के घर पहुंचकर, वादी की पत्नी को बताया हो। यह कहना सही है कि इस मुकदमें के संबंध में राजेश पुत्र किशन निषाद, निवासी– राजा राम का पुरा, जरार, आगरा को पूछताछ के लिए, लेकर आए हों, जिसका तस्करा G.D. में दिनांक 29.09.15, G.D. No.-33 समय 18:10 पर किया हो। यह कहना गलत है कि पंचनामा भरने से पूर्व F.I.R. की Copy मेरे पास न हो, इसलिए मैंने पंचनामा पर, प्रथम पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में, मुकदमा अपराध संख्या न लिखकर, पंचायतनामा मृतक रंजीत उर्फ चुन्ना अंकित किया हो। <u>यह सही है कि मैंने पंचायतनामा पर, मुकदमा अपराध संख्या नही खोला है।</u> सूचना में, मुकदमा अपराध संख्या अंकित है। <u>मैं नहीं बता सकता कि Dog Squad घटनास्थल से नजमा के घर</u>

WWW.LIVELAW.IN

तक पहुंचा था या नहीं। मैं नहीं बता सकता कि Field Unit ने मौके से जो सामान लिया था, उसी दिन, उन्होने थाने पर जमा किया था या नहीं। यह कहना गलत है कि मैं घटनास्थल पर प्रातः 8 बजे मौजूद रहा होऊं और बहुत सारे पुलिसकर्मी भी कुछ देर बाद पहुंचे हों। मैं यह नहीं बता सकता कि इस मुकदमें में कौन अभियुक्त था लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नजमा व नरेंद्र के नाम प्रकाश में आए हैं।

प्रतिरक्षा साक्षी भगवानदास पुत्र बाबूराम द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि *अभियुक्त नरेंद्र मेरा बेटा है। यह सही है कि इस मुकदमें में chargesheet लगने के बाद, दिनांक 28.11.2015 को, एक R.T.I. मांगी थी। यह R.T.I. देवता cold storage, बाह के लिए लिखी थी। मैं, दिनांक 01.09.2015 को, ट्रक संख्या– UP-75-H-8724 आलू लादने किस समय आया और लादकर किस समय गया, आलू मालिक का नाम, आलू लादकर किस जगह भेजा गया तथा ट्रक driver का नाम व पता, जो दिनांक 01.09.2015 को आलू लेकर गया, संबंधी सूचना मांगी थी। इस R.T.I. के साथ 10/–रूपये का Postal Order लगाया व स्वयं का पता लिखाया, Registry डाक से भेजा था। R.T.I. के तहत सूचना, मैंने अपने हस्तलेख में कार्बन कॉपी लगाकर मांगी थी। मूल कॉपी देवता कोल्ड स्टोर को भेजी थी, जिसकी कार्बन प्रति को मूल के साथ तैयार की गयी थी। इस R.T.I. का जवाब देवता cold storage वालों ने मुझे भेजा था। मुझे यह सूचना दी थी कि दिनांक 01.09.2015 को ट्रक संख्या– UP-75-H-8724 देवता cold storage, बाह से load नहीं हुआ है। यह सूचना मुझे प्रबंधक Devta Ice & Cold Storage ने, डाक से भेजी थी। देवता cold storage द्वारा दी गयी सूचना पत्रावली पर है।*

प्रतिरक्षा साक्षी भगवानदास द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *मैंने दिनांक 28.11.2015 को R.T.I. लगायी थी। मैं यह जानता हूं कि R.T.I. का मतलब जनसूचना अधिकार अधिनियम होता है। इस अधिनियम के बारे में जानकारी अखबारों में पढ़कर मिली थी। अमर उजाला या दैनिक*

WWW.LIVELAW.IN

जागरण में सूचना के बारे में पढ़ा होगा। मुझे R.T.I. अधिनियम के बारे में काफी जानकारी है। मैं, R.T.I. की वह धारा नहीं बता सकता, जिसके अंतर्गत किसी Private व्यक्ति से सूचना मांगी जाती है। मुझे नहीं मालूम कि Private व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने का कोई माध्यम सरकारी Agency होती है। यह कहना गलत है कि मैनें वकील साहब से सलाह लेकर R.T.I. की सूचना, cold storage से मांगी हो। यह भी कहना गलत है कि मैंने cold storage के मालिक से मिलकर झूठी सूचना प्राप्त की हो। नजमा के बारे में, मैं कुछ नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि नजमा, मेरे बेटे के साथ दुकान करती थी। यह कहना गलत है कि नजमा घटना से पूर्व मेरे बेटे के साथ रहती हो। यह कहना गलत है कि चूंकि मुल्जिम मेरा बेटा है और नजमा उसकी साथी दुकानदार थी, इसलिए उन्हे बचाने के लिए, मैं झूठी गवाही दे रहा हूं।

प्रतिरक्षा साक्षी D.W.–2 रामलखन पुत्र श्री राम सिंह द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि *मैं कोतवाल धर्मशाला, जरार का मालिक हूं। मैं उसमें उमा विद्या मंदिर चलाता था, अब नहीं है। मैं उसका मालिक था। सन् 2015 में विद्यालय चलाता था। मैं, विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक चलाता था। कोतवाल धर्मशाला में नजमा तीन सौ रूपये प्रतिमाह किराए पर रहती थी। नजमा दूसरी मंजिल पर रहती थी। मेरी building में चार दुकानें थी। एक डाकखाना संचालित था। उन दुकानों में एक दुकान नजमा के पास किराए की थी। सभी दुकानों में, एक में नाई, एक में करूआ खान की पत्नी चूड़ी का काम करती थी। घटना के समय, सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्यालय चलता था। स्कूल के बच्चे भूतल व प्रथम तल पर पढ़ते थे। घटना के समय मैं कोतवाल धर्मशाला में नही रहता था। मैं कोतवाल धर्मशाला से 300 मीटर की दूरी पर रहता था। मुझे सही ज्ञात नहीं है लेकिन अंदाज से 11:12 बजे रंजीत उर्फ चुन्ना के शव के बारे में जानकारी हुई थी। जब मैं अपने स्कूल पहुंचा तो मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा थी। पुलिस भी मौजूद थी। मौके पर योगेंद्र/वादी, उसकी पत्नी व उसके पिता दारा सिंह मौजूद थे। <u>मौके पर नजमा व नरेंद्र भी थे। मौके पर ही नजमा व नरेंद्र को,</u>*

WWW.LIVELAW.IN

पुलिस, मौके से पकड़ कर ले गयी थी। *मैंने जानने की कोशिश नहीं की कि मौके पर लाश को सबसे पहले किसने देखा था। मैनें अन्य लोगों के साथ चुन्ना की लाश को देखा था। डाकखाना कोतवाल धर्मशाला के भूतल पर है। मैंने चुन्ना की लाश को जब देखा, तब वह योगेंद्र की गोदी में था। मुझे नहीं पता, योगेंद्र, लाश को कहां ले गया। खुद कहा कि घर ही ले गये होंगे। मौके पर पुलिस के कुत्ते भी आ थे। यह Sniffer Dog पुलिस वाले लेकर कहां गए, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि योगेंद्र वहां से जाने के बाद मेरी building में लौटकर आया था या नहीं। घटना की तारीख को मैं मौके पर कितनी देर तक रहा, मुझे याद नहीं है। मैं, घटना की तारीख के बाद, building की छत तक, दो–चार महीने नहीं गया। पुलिस ने मेरे सामने कोई लिखा–पढ़ी नहीं की थी। मुझे जानकारी नहीं कि जब पुलिस नजमा व नरेंद्र को ले गयी थी, तब पुलिस ने बाद में उन्हे छोड़ा या नहीं।*

प्रतिरक्षा साक्षी D.W.–2 रामलखन द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *नरेंद्र व नजमा मेरी धर्मशाला में रहते थे, चूड़ी की दुकान करते थे।*

प्रतिरक्षा साक्षी D.W.–3 प्रदीप कुमार पुत्र देवता प्रसाद द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि *दिनांक 28.11.2015 को भगवान दास निवासी मोहल्ला मस्जिद, ग्राम जरार, बाह, आगरा के प्रबंधक देवता क cold storage, बाह, आगरा से जनसूचना अधिनियम के तहत मांगी थी कि दिनांक 01.09.2015 को ट्रक संख्या- UP-75-H-8724 आलू लादने किस समय आया व आलू लादकर किस समय गया। आलू मालिक का नाम, ट्रक आलू लादकर, किस जगह को गया व ट्रक driver का नाम व पता, जो दिनांक 01.09.2015 को आलू लेकर गया। भगवान दास द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति मुझे डाक से प्राप्त हुई थी, जिसका जवाब मैंने दिया था कि दिनांक 01.09.2015 को ट्रक संख्या- UP-75-H-8724 M/s Devta Ice & cold storage, बाह से load नहीं हुआ था, जो मैंने सही जवाब दिया था।*

प्रतिरक्षा साक्षी D.W.–3 प्रदीप कुमार द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन

WWW.LIVELAW.IN

किया गया है कि *दिनांक 01.09.2015 से अब तक लगभग चार साल हो गए हैं। मुझे अन्य किसी ट्रक के बारे में जानकारी नहीं है कि किसमें क्या माल लदा था, केवल इसी ट्रक के बारे में मालूम है कि उस दिन इस ट्रक में कोई loading नहीं हुई थी। इस ट्रक से संबंधित मैं कोई Record नहीं लाया हूं क्योंकि वह समाप्त हो चुका है। File को देखकर बयान दिया है। जनसूचना के तहत मुझसे भगवान दास द्वारा मांगी गयी थी, इसमें Draft/ Postal Order नहीं लगा था, केवल प्रार्थना पत्र दिया था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों से मिलकर झूठी गवाही दे रहा हूं।*

तार्किक विश्लेषण

प्रस्तुत प्रकरण में, वादी योगेंद्र सिंह के पुत्र रंजीत सिंह उर्फ चुन्ना (मृतक) की चाकू से गोदकर, नृशंस हत्या का तथ्य निर्विवाद है। यह भी निर्विवाद है कि प्रश्नगत हत्या का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अथवा साक्षी, उपलब्ध नहीं है क्योंकि मृतक बालक का शव, अभियुक्तगण के पड़ोस में, ब्रह्मचारी गुप्ता के पुराने खाली मकान की छत पर पाई गयी। अभियोजन कथानक मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर ही आधारित है तथा उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आलोक में ही वाद का विनिश्चय किया जाना है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त नरेंद्र सिंह, जो हिंदू जाटव है, की पत्नी अभियुक्ता नजमा है, जो मुसलमान है। वादी मुकदमा का घटना से लगभग एक वर्ष पूर्व, अभियुक्तगण नरेंद्र व नजमा से गाली–गलौज हुआ था। वादी के अनुसार, उसी शत्रुतावश, अभियुक्तगण द्वारा उसके पुत्र की हत्या की गयी। इस प्रकार, अभियोजन द्वारा, प्रकरण के हेतुक (Motive) के रूप में, उपरोक्त शत्रुता को आधार बनाया गया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त तथ्य के संपोषण हेतु साक्षी/P.W.-2 वाकल सिंह के साक्ष्य को आधार बनाया गया है, जिसने मृतक रंजीत सिंह उर्फ चुन्ना की लाश का पता चलने की तिथि, दिनांक 02.09.2015 के एक दिन पूर्व, दिनांक 01.09.2015 को, मृतक बालक को नरेंद्र और नजमा की दुकान पर बैठे देखा था, जहां नरेंद्र उसे कुरकुरे खिला रहा था, जबकि नजमा उसे गोद में लेकर बैठी थी। अभियोजन द्वारा

WWW.LIVELAW.IN

साक्षी P.W.-2 वाकल सिंह की उपरोक्त, अंतिम समय एक साथ देखे जाने (Last seen together) की जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियुक्तगण द्वारा ही मृतक बालक की हत्या की गयी है।

प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि नजमा ने ही, वादी योगेंद्र सिंह के घर जाकर, दिनांक 02.09.2015 को प्रातः 8–9 बजे, मृतक बालक के शव के, पड़ोस की छत पर पड़े होने की सूचना दिया था तथा दोनों अभियुक्तगण, शव के पास, पुलिस कार्यवाही के दौरान भी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई और न ही Sniffer Dog, अभियुक्तगण के पास गए, न ही बरामद चाकू पर अभियुक्तगण के हाथों के निशान पाए गए। साक्षी PW-2 वाकल सिंह का साक्ष्य भी विरोधाभास से परिपूर्ण है। ऐसी दशा में अभियोजन कथानक पूर्णतः निराधार हो जाता है।

इसी अनुक्रम में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों का तार्किक विश्लेषण बिन्दुवार निम्नवत् है–

1. वादी मुकदमा/साक्षी P.W.-1 योगेंद्र सिंह का साक्ष्य–

वादी मुकदमा योगेंद्र सिंह द्वारा अपने तहरीरी प्रार्थना पत्र /प्रदर्श क–1 में यह कथन किया गया है कि *आज दिनांक 02.09.2015 को, हम लोग तलाश कर रहे थे तो समय करीबन 11 बजे दिन में सूचना मिली कि एक बच्चे की लाश, कोतवाल धर्मशाला के बगल में, ब्रह्मचारी गुप्ता के बंद पड़े मकान की छत पर पड़ी है। सूचना पर मैं, परिजनो के साथ तुरंत मौके पर पहुंचा व देखा तो वह लाश मेरे पुत्र रंजीत उर्फ चुन्ना की थी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पुत्र की हत्या नरेंद्र सिंह पुत्र भगवान दास जाटव, निवासी– मस्जिद, मुहल्ला जरार व उसकी पत्नी श्रीमती नजमा, जो वर्तमान में कोतवाल धर्मशाला, जरार में रह रही है, दोनो ने मिलकर की है क्योंकि काफी दिन पहले, मेरा, इन दोनों से झगड़ा हो गया था तो दोनों ने धमकी दी थी कि तेरा बुरा करके रहेंगे, उसी रंजिश को लेकर, मेरे पुत्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है।*

WWW.LIVELAW.IN

वादी मुकदमा योगेंद्र सिंह/ साक्षी PW-1 द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा के माध्यम से तहरीरी प्रार्थना पत्र में किए गए कथन की अक्षरशः पुष्टि करते हुए, प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि **मेरे पुत्र रंजीत उर्फ चुन्ना की लाश के बारे में नजमा ने मेरे घर बताया था। मेरी पत्नी को सुबह 8–9 बजे नजमा ने बताया था,** साक्षी P.W.-1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण से शत्रुता के संबंध में यह कथन किया गया है कि **मेरा, कुछ दिन पहले, करीब 1 साल पूर्व, नरेंद्र व नजमा से झगड़ा हुआ था। केवल गाली–गलौज हुयी थी। उस समय, नरेंद्र ने कहा था कि *मैं, तेरा बहुत बुरा करूंगा।* उस समय, घटना वाले दिन, मैं व राकेश, मोटर साइकिल पर जा रहे थे। नजमा के परिवार की एक महिला से, राकेश का हाथ लग गया था। इस पर नजमा व नरेंद्र ने गाली–गलौज की थी। मैं, नजमा को पिछले 7–8 वर्षो से जानता हूं। नजमा के कितने बच्चे हैं, मुझे नही मालूम। नजमा मुसलमान है। मैं बचपन से ही वहां रहता हूं। नजमा चूड़ी की दुकान करती थी। मैं नरेंद्र को तब से जानता हूं, जब से समझदार हुआ था। नरेंद्र हिंदू जाटव है। मैं नहीं बता सकता कि नजमा के कितने बच्चे हैं। मैं यह भी नहीं बता सकता कि नजमा के अपने मुस्लिम पति से चार बच्चे हैं, जिनमें से दो उसका पति ले गया है। ....<u>मेरे पुत्र रंजीत की लाश के पास नरेंद्र व नजमा मौजूद थे और पुलिस भी मौजूद थी।</u>**

वादी योगेंद्र सिंह द्वारा उपरोक्त वर्णित एक वर्ष पूर्व की गाली–गलौज व धमकी की घटना को **हेतुक** मानते हुए, अभियुक्तगण पर आक्षेप लगाया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने अभियुक्तगण को घटनास्थल से गिरफ्तार किया।

वादी मुकदमा तथा अभियुक्तगण के मध्य किसी व्यवहार (Civil) अथवा आपराधिक (Criminal) प्रकृति के विवाद/वाद का कोई उल्लेख नहीं है, न ही उपरोक्त घटना के अतिरिक्त, कोई पश्चातवर्ती अप्रिय घटना घटित हुई और न ही उनके मध्य कोई पूर्ववर्ती विवाद रहा अर्थात् उपरोक्त घटना के अतिरिक्त, उनके मध्य कभी किसी पूर्ववर्ती अथवा पश्चात्वर्ती विवाद का, कोई

WWW.LIVELAW.IN

साक्ष्य नहीं है। उपरोक्त घटना के संबंध में भी संबंधित थाने अथवा चौकी में किसी लिखित अथवा मौखिक शिकायत का कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण का पूर्व का आपराधिक अथवा विवाद संबंधी भी, कोई इतिहास नहीं रहा। ऐसी दशा में, न्यायालय के मत में, मात्र उपरोक्त तुच्छ घटना, गाली–गलौज व क्षणिक आवेशजनित धमकी के, एक वर्ष पश्चात्, अभियुक्तगण द्वारा, वादी के 5 वर्षीय अबोध, मासूम पुत्र की निर्दयतापूर्वक, नृशंस हत्या किया जाना, तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, जबकि अभियुक्ता नजमा द्वारा ही घटना की सूचना, वादी की पत्नी के घर जाकर दी गयी, दोनो अभियुक्तगण गिरफ्तारी तक, सार्वजनिक रूप से, घटनास्थल पर उपस्थित रहे, उनके पास से कोई बरामदगी भी नहीं हुई और न ही Sniffer Dog उनके पास गए।

2. साक्षी P.W.-2 वाकल सिंह का साक्ष्य–

प्रस्तुत प्रकरण में, अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी P.W.-2 वाकल सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण निम्नलिखित दो बिंदुओ के अधीन किया जाना युक्तिसंगत होगा–

(i). घटना के लगभग 25 दिन उपरांत, साक्षी P.W.-2 वाकल सिंह, वादी योगेंद्र सिंह के माध्यम से सामने आता है तथा उसके द्वारा यह कथन किया जाता है कि *दिनांक 01.09.2015 की बात है। तिवारी cold storage में आलू लदवाने गया था। गाड़ी संख्या– UP-75-H-8724, जो कि महेश का ट्रक है, उस पर मैं ड्राइवरी करता हूं। गाड़ी भरने में समय लग रहा था तो मैं योगेन्द्र सिंह, जो कि मृतक चुन्ना के पिताजी हैं, वह मेरे मित्र हैं, उनसे मिलने चला गया। **योगेंद्र के घर से पहले नरेंद्र की पत्नी नजमा की गोद में <u>मृतक चुन्ना उर्फ रंजीत सिंह</u> को बैठे देखा था। नरेंद्र उसको कुरकुरे खिला रहा था। ये दोनो लोग अपनी चूड़ी व गुटखे की दुकान पर बैठे थे। उस समय करीब 5:30 बजे का समय था।** वहां से मैं सीधे योगेंद्र के घर गया। घर पर योगेंद्र की पत्नी ने मना कर दिया कि वो घर पर नहीं है। वहां से गाड़ी पर वापस आया और अकोला, राजस्थान होते हुए, महाराष्ट्र चला गया।*

उपरोक्त साक्षी P.W.-2 की प्रतिपरीक्षा के निम्नलिखित अंश सुसंगत व

WWW.LIVELAW.IN

महत्वपूर्ण हैं–

मुझे तो योगेंद्र बाह में ले गया था। ....दिनांक 01.09.2015 को मैं तिवारी *cold storage*, ***बाह पर आलू लदवाने के लिए आया हुआ था।*** *......... मैंने दरोगाजी को बताया था कि देवता cold storage से आलू भरकर गए थे। ......* ***अभियुक्तगण की दुकान के आस–पास अन्य दुकाने है लेकिन किस–किस की हैं, मैं यह नहीं बता सकता। ....नरेंद्र की शादी हुई है या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। नजमा के चार छोटे बच्चे हैं, इसकी भी जानकरी नहीं है। नजमा हिंदू है या मुसलमान, मुझे नहीं पता। नरेंद्र व नजमा किस बिरादरी के हैं, मुझे नहीं मालूम।*** *योगेंद्र सिंह से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। दिनांक 01.09.2015 को देवता cold storage से आलू लादकर मैं अकोला, महाराष्ट्र ले गया था। मैं चार–पांच दिन बाद ट्रक लेकर अकोला मंडी, महाराष्ट्र पहुंच गया था, उसके बाद एक दिन अकोला मंडी, महाराष्ट्र ही रूका था। अकोला, महाराष्ट्र से मैं कहां गया था, मुझे याद नहीं है। मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि दिनांक 01.09.2015 से दिनांक 25.09.2015 तक, मैं कहां गया था, क्या–क्या सामान Load किया या Unload किया। वह जगह मैंने नहीं देखी थी, जहां चुन्ना की लाश पड़ी थी।* ***नरेंद्र की दुकान के आस–पास दुकान है, लेकिन किस–किस की हैं, मैं नहीं बता सकता।***

साक्षी P.W.-2 वाकल सिंह के साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन द्वारा अंतिम समय मृतक और अभियुक्त को एक साथ देखे जाने (Last seen together) के आधार पर, मृतक बालक की मृत्यु से, अभियुक्तगण के कृत्य को जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित विधिव्यवस्थाएं सुसंगत हैं–

1. State of Goa Vs. Pandurang Mohite, AIR 2009 SC 1066,
2. Ramreddy Rajeshkhanna Reddy Vs. State of A.P., 2006 (10) SCC 172,
3. State of U.P. Vs. Satish, 2005 (3) SCC 114,
4. Sardar Khan vs State of Karnataka, (2004) 2 SCC 442,
5. Mohibur Rahman Vs. State of Assam, 2002(2) JIC 972 (SC)

Held- Circumstances of LAST SEEN TOGETHER do not by themselves and necessarily lead to the inference that it was accused,

WWW.LIVELAW.IN

who committed the crime. There must be something more establishing connectivity between the accused and the crime. The time get between last seen alive and the recovery of dead body must be so small that the possibility of any person, other than accused, being the author of the crime becomes impossible.

इस प्रकार स्पष्ट है कि वाकल सिंह को वादी योगेंद्र सिंह द्वारा ही प्रकरण में सामने लाया गया। वाकल सिंह, स्वयं को योगेंद्र का निकटस्थ बताता है। इस प्रकार, साक्षी वाकल सिंह को स्वतंत्र साक्षी नहीं अपितु हितबद्ध साक्षी ही माना जा सकता है। वह योगेंद्र के घर जाते हुए, मार्ग में, चलायमान दशा में भी, नरेंद्र, नजमा व योगेंद्र के पुत्र/मृतक बालक को एक झलक देखकर पहचान जाता है किंतु वह न केवल नरेंद्र व नजमा के संबंध में न्यूनतम विवरण देने में विफल रहा अपितु वह वादी योगेंद्र के पास–पड़ोस संबंधी विवरण देने में भी असमर्थ रहा। वह घटना के 25 दिनों पश्चात् सामने आता है। इस प्रकार, साक्षी P.W.-2 वाकल सिंह के साक्ष्य की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।

(ii). साक्षी P.W.-2 वाकल सिंह द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि ***दिनांक 01.09.2015 को मैं तिवारी कोल्ड स्टोरेज, बाह पर आलू लदवाने के लिए आया हुआ था। मैं, मैनपुरी से माल, तिवारी cold storage लाया था। तिवारी cold storage के बराबर में एक पेट्रोल पंप है, cold storage का नाम ही देवता cold storage है। मेरा बयान भी सही है कि तिवारी cold storage व देवता cold storage, दोनो ही बाह पर हैं। दोनो cold storage एक ही हैं। फिर कहा, दोनो cold storage एक नहीं है। तिवारी cold storage का नाम, देवता cold storage है। मैंने दरोगाजी को बताया था कि देवता cold storage से आलू भरकर गए थे। मैंने दरोगा जी को तिवारी cold storage का नाम नहीं बताया था। तिवारी cold storage नहीं है, देवता cold storage के मालिक को तिवारी कहते हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि देवता cold storage का manager कौन था।***

अभियुक्त नरेंद्र सिंह के पिता श्री भगवान दास/साक्षी D.W.-1 द्वारा

WWW.LIVELAW.IN

जनसूचना अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उपरोक्त देवता कोल्ड स्टोरेज से, उपरोक्त के संबंध में सूचना हेतु आवेदन किया। साक्षी D.W.-1 द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में किया गया कथन संक्षेप में निम्नवत् है–

*अभियुक्त नरेंद्र मेरा बेटा है। यह सही है कि इस मुकदमें में Chargesheet लगने के बाद, दिनांक 28.11.2015 को एक R.T.I. मांगी थी। यह R.T.I. Devta Cold Storage, बाह के लिए लिखी थी। मैं दिनांक 01.09.2015 को, ट्रक संख्या– UP-75-H-8724 आलू लादने किस समय आया और लादकर किस समय गया, आलू मालिक का नाम, आलू लादकर किस जगह भेजा गया तथा ट्रक driver का नाम व पता, जो दिनांक 01.09.2015 को आलू लेकर गया, संबंधी सूचना मांगी थी। इस R.T.I. के साथ 10/– रूपये का Postal Order लगाया था व स्वयं का पता लिखाया था, Registry डाक से भेजा था। R.T.I. के तहत सूचना, मैंने अपने हस्तलेख में, कार्बन कॉपी लगाकर मांगी थी। मूल कॉपी Devta Cold Storage को भेजी थी, जिसकी कार्बन प्रति को मूल के साथ तैयार की गयी थी। इस R.T.I. का जवाब Devta Cold Storage वालों ने मुझे भेजा था। मुझे यह सूचना दी थी कि **दिनांक 01.09.2015 को ट्रक संख्या– UP-75-H-8724 Devta Cold Storage, बाह से load नहीं हुआ है।** यह सूचना मुझे प्रबंधक, Devta Ice & Cold Storage ने, डाक से भेजी थी। Devta Cold Storage द्वारा दी गयी सूचना पत्रावली पर है।*

साक्षी D.W.-1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में किया गया कथन संक्षेप में निम्नवत् है–

मैंने दिनांक 28.11.2015 को R.T.I. लगायी थी। मैं यह जानता हूं कि R.T.I. का मतलब जनसूचना अधिकार अधिनियम होता है। ....मैं, R.T.I. की वह धारा नहीं बता सकता, जिसके अंतर्गत किसी Private व्यक्ति से सूचना मांगी जाती है। मुझे नहीं मालूम कि Private व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने का कोई माध्यम सरकारी agency होती है।

अभियोजन पक्ष का तर्क था कि जनसूचना अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, किसी निजी संस्था से सूचना नहीं मांगी जा सकती, मात्र शासकीय

WWW.LIVELAW.IN

अभिकरण ही सूचना दिए जाने हेतु आबद्ध होते है।

साक्षी P.W.-2 वाकल सिंह का साक्ष्य, इस आपराधिक वाद के विनिश्चय हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक संपोषक साक्षी है। यद्यपि जनसूचना अधिनियम के आलोक में, उपरोक्त साक्ष्य/सूचना विधिक बल नहीं रखता है किंतु संपोषक बल अवश्य रखता है क्योंकि एक निजी Cold Storage, जिसकी अभियुक्तगण से हितबद्धता अथवा संबंध का कोई साक्ष्य अथवा कथन अभिलेख पर नहीं हैं, के द्वारा, विधितः अपेक्षित प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन करते हुए, याचित सूचना का यथोचित उत्तर प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त Cold Storage की ओर से, प्रतिरक्षा साक्षी D.W.-3 प्रदीप कुमार पुत्र देवता प्रसाद ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर, इस तथ्य की पुष्टि किया है कि दिनांक 01.09.2015 को ट्रक संख्या– UP-75-H-8724 की loading हुई ही नहीं थी। देवता Cold Storage, उसके स्वामी, प्रबंधक, आदि का, अभियुक्तगण के साथ दुरभिःसंधि (Collusion), अथवा पारस्परिक हितबद्धता का कोई कथन अथवा आक्षेप अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त जनसूचना तथा प्रतिरक्षा साक्षीगण D.W.-1 व D.W.-3 के साक्ष्य पर विश्वास किया जाना युक्तिसंगत होगा, जिससे साक्षी P.W.-2 का साक्ष्य संदिग्ध हो जाता है।

साक्षी P.W.-5/विवेचक ब्रह्मसिंह द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि ***यह कहना सही है कि इस पूरी विवेचना में केवल वाकल सिंह ने अभियुक्तों के विरूद्ध बयान दिया था। यह कहना सही है कि वाकल सिंह ने घटना के 23–24 दिन बाद, पहली बार आकर अपना बयान अंकित कराया और मैंने इस बयान को सही मानकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया।***

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मात्र एक साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को असुरक्षित माना गया है, जैसा कि निम्नलिखित विधि व्यवस्था से स्पष्ट है–

Himappa Chandappa Hosamani & Ors. Vs. State of Karnataka, 2006(11) SCC 323,

WWW.LIVELAW.IN

Held- On the basis of the testimony of a single eye witness, a conviction may be recorded, but it has also cautioned that whie doing so, the Court must be satisfied that the testimony of the solitary eye witness is of such sterning quality that the Court find it safe to base a conviction solely on the testimony of that witness. The evidence must be free of any blemish or suspicion, must impress the Court as wholely truthful, must appear to be natural and so convincing that the Court has no hesitation in recording a conviction solely on the basis of the testimony of a single witness.

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वाकल सिंह का साक्ष्य पूर्णतः संदिग्ध व अविश्वसनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनोवांछित निष्कर्ष की पुष्टि हेतु वाकल सिंह नामक पात्र का प्रस्तुत आपराधिक कथानक में जबरन समावेश किया गया है। अतः मात्र वाकल सिंह के साक्ष्य के आधार पर दोष निर्धारण न्यायालय के मत में असुरक्षित व अन्यायसंगत होगा।

3. विवेचक/साक्षी P.W.-5 ब्रह्म सिंह का साक्ष्य–

साक्षी P.W.-5 द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा के माध्यम से प्रारूपिक अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध किया गया तथा प्रतिपरीक्षा के माध्यम से किया गया कथन संक्षेप में निम्नवत् है–

चप्पल, चाकू को मेरे द्वारा कब्जे में लिया गया था। जो Field Unit द्वारा सामान कब्जे में लिया था, उसका भी सील मुहर मेरे द्वारा किया गया था, Field Unit द्वारा नहीं किया गया था। ***चाकू को किसी कपड़े मे सील मुहर नहीं किया था।*** *........जब मैं घटनास्थल पहुंचा तो मुझसे पहले मौके पर पुलिस चौकी, जरार के Constable राजेन्द्र बाबू मौजूद थे। इनके अलावा अन्य कोई पुलिसकर्मी नहीं था। मौके पर हजारों की संख्या में भीड़ थी। घटनास्थल पर सबसे पहले शव, वादी मुकदमा ने देखा था। मुझे वादी मुकदमा ने मृतक के शव को दिन के 11 बजे देखना बताया था। इस मुकदमें का दौरान विवेचना कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला था। .... जिस धर्मशाला से हम गए थे, उसमें मुल्जिम नजमा रहती थी।* ***जब मैं वहां पहुंचा, तब नरेंद्र व नजमा मौके पर नहीं थे। <u>Dog Squad Team नजमा व नरेंद्र के घर तक गयी थी या नही, मुझे नहीं मालूम। मेरी जानकारी में यह</u>***

WWW.LIVELAW.IN

बात थी कि मुल्जिमान F.I.R. में नामजद हैं, इसके बावजूद मैंने नजमा का घर खुलवाकर नहीं देखा था। कोतवाल धर्मशाला के मालिक रामलखन का बयान नहीं लिया था। यह बात मेरी जानकारी में है कि कोतवाल धर्मशाला में रामलखन का स्कूल चलता था। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मैं जब घटनास्थल पर पहुंचा, तब स्कूल के बच्चे व अध्यापक धर्मशाला में मौजूद थे या नहीं। पत्रावली पर शामिल विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, महानगर, लखनऊ की घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट, दिनांकित 02.09.2015, जो पत्रावली पर मौजूद है को देखकर साक्षी ने कहा कि यह रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में नहीं है, न ही मैंने तैयार की थी और न ही मैंने तैयार करने वाले विशेषज्ञ गीता रानी, हरेंद्र कुमार, सतेंद्र कुमार से कोई पूछताछ की, न ही बयान लिए थे लेकिन यह रिपोर्ट मैंने केवल मूल रूप से विवेचना में शामिल की है। Field Unit वालों ने कोई Finger Print के निशान नहीं लिए थे, फिर कहा याद नहीं है, लिए थे या नहीं। मैंने Finger Print के निशान के मिलान हेतु किसी अन्य F.S.L. में जांच हेतु नहीं भेजी थी क्योंकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने से पूर्व मेरा तबादला, थाना बाह से एत्मादपुर हो चुका था। मुकदमें में आरोप पत्र मेरे द्वारा लगाया गया है। Finger Print की जांच हेतु चाकू को मेरे द्वारा किसी F.S.L. नहीं भेजा गया था। यह कहना गलत है कि मैनें Finger Print मिलान हेतु F.S.L. इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मुल्जिम निर्दोष साबित हो जाते। यह भी नहीं कहा जा सकता कि चाकू पर नजमा या नरेंद्र के Finger Print थे या नहीं। वाकल सिंह का बयान मैनें दिनांक 25.09.2015 को लिया था। उसने मुझे बताया था कि वह ट्रक संख्या– UP-75-H-8724 का driver है, ट्रक का मालिक उसके मामा का लड़का है। उसने मुझे यह नही बताया था कि दिनांक 01.09.2015 को उक्त ट्रक में आलू भरने के लिए देवता cold storage, बाह पर आलू भरने आया था। ट्रक भरने में कई घंटो का समय लग जाता है इसलिए मैं वहां ट्रक खडा करके योगेंद्र सिंह से उसके घर मिलने आया था। मैंने देखा था कि मृतक चुन्ना को नजमा गोद में लेकर

WWW.LIVELAW.IN

बैठी थी, मुझे योगेंद्र घर पर नहीं मिला। मैं वापस cold storage जाकर ट्रक भरवाकर अकोला, राजस्थान चला गया। ***यह कहना सही है कि इस पूरी विवेचना में केवल वाकल सिंह ने अभियुक्तों के विरूद्व बयान दिया था। यह कहना सही है कि वाकल सिंह ने घटना के 23–24 दिन बाद, पहली बार आकर अपना बयान अंकित कराया और मैंने इस बयान को सही मानकर आरोपत्र दाखिल कर दिया।***

प्रश्न– *आपने साक्षी वाकल सिंह के द्वारा दिए गए बयान की सत्यता को जांचने का कोई प्रयास नहीं किया?*

उत्तर– वाकल ने मुझे सही बयान दिया था, इसलिए मैंने जांचने की कोशिश नहीं की थी।

मैंने देवता cold storage पर यह जानकारी नहीं की थी कि उक्त ट्रक उक्त तिथि को cold storage आया था या नहीं। दिनांक 26.09.2015 को राजेश पुत्र श्री किशन निशाद, निवासी राजा राम का पुरा को तलब करने का यह कारण नहीं था कि मैं इससे पूर्व की विवेचना से स्वयं संतुष्ट नहीं था। ....***यह कहना सही है कि अभियुक्तगण के कब्जे से अपराध संबंधी कोई वस्तु बरामद नहीं हुई थी। ....मैंने मृतक के पिता के अलावा किसी अन्य परिजन का बयान नहीं लिया था।***

इस प्रकार विवेचक/साक्षी P.W.-5 के उपरोक्त साक्ष्य के आलोक में निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट लापरवाही परिलक्षित होती है–

(i). चप्पल व चाकू को कब्जे में लिया, Field Unit द्वारा कब्जे में लिए गए सभी सामानों को सील मुहर किया किंतु चाकू को किसी कपड़े में सील मुहर नहीं किया,

(ii). Dog Squad Team नजमा व नरेंद्र के घर तक गयी थी या नही, इस पर विवेचक द्वारा अनभिज्ञता प्रकट किया गया, जबकि Dog Squad Team की अभियुक्तगण अथवा उनके घर तक पहुंच, निश्चायक साक्ष्य अवश्य नहीं था किंतु परिस्थितिजन्य साक्ष्य आधारित प्रकरण के दृष्टिगत, श्रृंखला (chain) की रचना हेतु महत्वपूर्ण था,

(iii). प्राथमिकी में अभियुक्तगण के नामजद होने के बावजूद, विवेचक द्वारा

WWW.LIVELAW.IN

अभियुक्तगण, विशेष रूप से अभियुक्ता नजमा का घर खुलवाकर अपेक्षित अन्वेषण नहीं किया गया,

(iv). घटनास्थल कोतवाल धर्मशाला के स्वामी रामलखन का बयान नहीं लिया,

(v). विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, महानगर, लखनऊ की घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट, दिनांकित 02.09.2015, को तैयार करने वाले विशेषज्ञगण गीता रानी, हरेंद्र कुमार, सतेंद्र कुमार का बयान नहीं लिया,

(vi). विवेचक के अनुसार, उसने Finger Print के निशान के मिलान हेतु बरामद चाकू को F.S.L. में जांच हेतु नहीं भेजा क्योंकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने से पूर्व उसका स्थानांतरण, थाना बाह से एत्मादपुर हो चुका था, जबकि आरोप पत्र उसी के द्वारा लगाया गया है। ऐसी दशा में, न्यायालय के मत में, बिना F.S.L. आख्या के आरोप पत्र प्रेषित करना तात्विक अनियमितता की कोटि में आता है। विवेचक द्वारा स्वीकार किया गया है कि **यह भी नहीं कहा जा सकता कि चाकू पर नजमा या नरेंद्र के Finger Print थे या नहीं,**

(vii). विवेचक द्वारा स्वीकार किया गया है कि इस घटना में मात्र साक्षी वाकल सिंह द्वारा ही अभियुक्तगण के विरूद्ध बयान दिया गया किंतु विवेचक द्वारा साक्षी वाकल सिंह के बयान की सत्यता की जांच का कोई प्रयास नहीं किया गया,

(viii). विवेचक द्वारा देवता *cold storage* से यह जानकारी नहीं की गयी कि साक्षी वाकल सिंह का प्रश्नगत ट्रक, उक्त तिथि को *cold storage* आया था या नहीं,

(ix). दिनांक 26.09.2015 को, राजेश पुत्र श्री किशन निशाद, निवासी राजा राम का पुरा को, विवेचक द्वारा आहूत तो किया गया किंतु उसके साक्ष्य को विवेचना का अंश नहीं बनाया गया,

(x). विवेचक द्वारा मृतक बालक की मां श्वेता का बयान नहीं लिया गया, जबकि उसी ने वादी को, दिनांक 01.09.2015 को मृतक बालक के लापता होने की सूचना दी थी तथा उसी को अभियुक्ता नजमा ने, दिनांक 02.09.

WWW.LIVELAW.IN

2015 को, प्रातः 8—9 बजे, पड़ोस की छत पर, मृतक बालक का लाश पड़े होने की सूचना दी थी,

(xi). वादी सहित शेष अभियोजन व प्रतिरक्षा के साक्षीगण द्वारा घटनास्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति का कथन किया गया है जबकि विवेचक द्वारा घटनास्थल पर अभियुक्तगण की अनुपस्थिति का कथन किया गया है।

उपरोक्त बिंदुवार विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में, विवेचक द्वारा विवेचना के प्रत्येक स्तर पर उपेक्षा, उदासीनता तथा लापरवाही का परिचय दिया गया है। विवेचक द्वारा मात्र चिकित्सीय व विधि विज्ञान संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति करायी गयी तथा प्रकरण की गहन विवेचना करते हुए, वास्तविक अपराधी तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं किया गया। घटनास्थल से रक्त रंजित चाकू व चप्पल की बरामदगी का उल्लेख है, जिस पर Finger Print Expert की राय, सर्वश्रेष्ठ निश्चायक साक्ष्य (Best Piece of Conclusive Evidence) हो सकती थी, किंतु विवेचक द्वारा उपरोक्त विशेषज्ञ राय हेतु प्रयास ही नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव के दृष्टिगत, Finger Print के निशान के मिलान हेतु F.S.L. की जांच आख्या अपरिहार्य थी तथा विवेचक का यह कथन कि उसका स्थानांतरण बाह से एत्मादपुर हो गया था, अतार्किक व धृष्टतापूर्ण है, जबकि उसी ने आरोप पत्र भी प्रेषित कर दिया था। F.S.L. की जांच आख्या के बिना, शीघ्रातिशीघ्र आरोप पत्र प्रेषित किए जाने की तत्परता से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा मात्र किसी प्रकार आनन—फानन में विवेचना समाप्त कर, Good work प्रदर्शित करने व कार्यवृत्ति (Workdone) की पूर्ति के प्रदर्शन का ही प्रयास किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना प्रचलित रखते हुए, प्रगति आख्यास्वरूप प्रारंभिक आरोपपत्र प्रेषित कर, F.S.L. जांच आख्या के पश्चात्, पूरक आरोप पत्र भी प्रेषित किया जा सकता था, किंतु उसके द्वारा मात्र न्यूनतम औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए, इस जघन्य अपराध संबंधी गंभीर प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विधिव्यवस्थाओं में **Raj kumar Vs. State of U.P., 2020 Legal Eagle (Ald.) 273 & Rajman Vs. State of**

WWW.LIVELAW.IN

U.P., 2020 Legal Eagle (Ald) 351 में तथा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था **Dhannu Singh & Ors. Vs. State of Madhya Pradesh, 1997 Legal Eagle (MP) 169,** में **interested and chance witnesses** के विश्वसनीय व स्वतंत्र साक्षी से, संपोषण कराए बिना लिए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता को संदिग्ध माना है।

4. प्रारूपिक साक्षीगण P.W.-3, 4 & 6 के साक्ष्य—

शव विच्छेदन दल के सदस्य/चिकित्साधिकारी/साक्षी P.W.-3/डा0 रामगोपाल सिंह द्वारा शव विच्छेदन आख्या, प्रदर्श क–2, दिनांकित 03.09. 2015 के संबंध में औपचारिक साक्ष्य दिया गया, जिसके माध्यम से उनका निष्कर्ष था कि मृत्यु, शव विच्छेदन से दो से तीन दिन पूर्व का रहा होगा। उक्त साक्षी द्वारा आंतरिक परीक्षण में श्वांस नली में कटा घाव पाए जाने का कथन किया गया है जबकि वाह्य परीक्षण में श्वांस नली में कटा घाव नहीं पाया गया है, जो कि असंभव है।

प्राथमिकी लेखक/साक्षी P.W.-4/उपनिरीक्षक प्रेमपाल सिंह द्वारा दिनांक 02.09.2015 को अपराह्न 12:30 बजे, वादी की तहरीर पर, प्रस्तुत प्रकरण की प्राथमिकी दर्ज करने का कथन किया गया है। वादी द्वारा दिनांक 01.09.2015 को संबंधित चौकी जरार में मृतक की गुमशुदगी की सूचना देने का कथन किया गया है जबकि साक्षी P.W.-4 & 6 का कथन है कि दिनांक 01.09.2015 को मृतक की गुमशुदगी की सूचना वादी ने दर्ज नहीं करायी थी। वादी के अनुसार, अभियुक्तगण को घटनास्थल से प्रातः 9:30 या 10 बजे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि साक्षी P.W.-4 के अनुसार, प्राथमिकी 12:30 बजे दर्ज हुई। इससे स्पष्ट है कि प्राथमिकी से पूर्व अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जा चुका था। विवेचक के अनुसार, घटनास्थल से चाकू बरामद हुआ था जबकि साक्षी P.W.-4 के अनुसार, ***यदि घटनास्थल पर अपराध से संबंधित कोई वस्तु या हथियार बरामद होता है तो विवेचक अपनी वापसी में थाने पर दाखिल करता है।*** *दिनांक 02.09.2015 को विवेचक मुकदमा S.H.O. श्री ब्रहम सिंह, S.I. श्री चिदानंद प्रकाश, Constable 3756 प्रदीप कुमार, Constable 89 अमित कुमार, Constable*

WWW.LIVELAW.IN

2358 योगेंद्र सिंह, घटनास्थल के लिए दोपहर 12:30 G.D. No.- 24 से रवाना किए गए। ***दिनांक 02.09.2015 को उपरोक्त पुलिस कर्मियों की रवानगी के उपरांत, दिनांक 02.09.2015 रात 12 बजे तक, किसी भी पुलिसकर्मी की वापसी का इंद्राज नहीं है।*** उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि घटनास्थल पर जाने के संबंध में किसी पुलिसकर्मी ने अपनी रवानगी G.D. पर अंकित नहीं करायी, जबकि वादी व प्रतिरक्षा साक्षी D.W.-2 ने घटनास्थल पर पूर्व से पुलिस की उपस्थिति का कथन किया है। विवेचक द्वारा भी पुलिस चौकी जरार के आरक्षी राजेंद्र बाबू के घटनास्थल पर पहले से उपस्थित होने का कथन किया गया है।

पंचायतनामा के साक्षी/उपनिरीक्षक/साक्षी P.W.-6 चिदानंद सिंह द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में घटनास्थल/ब्रह्मचारी गुप्ता के मकान तथा कोतवाल धर्मशाला/अभियुक्तगण के मकान की ऊंचाई को लेकर घोर विरोधाभासी बयान दिया है। उक्त साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि पंचायतनामा के प्रथम पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में मुकदमा अपराध संख्या नहीं खोला गया है। उक्त साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि **मैनें यह जानने की कोशिश नहीं की थी कि किसके नाम मुकदमा लिखा गया है, क्या रंजिश थी, क्योंकि उस समय भारी *जनाक्रोश* था।**

ऐसा प्रतीत होता है कि जनाक्रोश तथा शीघ्र निष्कर्ष पर पहुंचने के उच्चस्तरीय दबाव के दृष्टिगत आनन–फानन में विवेचना पूर्ण की गयी, जो सिरे से दोषपूर्ण रही।

निष्कर्ष

उपरोक्त बिंदुवार तार्किक विश्लेषण के आलोक में यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा/साक्षी P.W.-1 द्वारा अभियुक्तगण पर, अपने मृतक बालक की हत्या के संबंध में लगाया गया आक्षेप, तथ्यपरक न होकर, अटकलों पर आधारित था। साक्षी P.W.-2 का साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय है जबकि विवेचक/साक्षी P.W.-5 के साक्ष्य से, विवेचना के प्रति उसकी लापरवाही व उदासीनता परिलक्षित होती है, जिसके माध्यम से उसने वास्तविक अपराधी का पता लगाने के बजाए, शीघ्रातिशीघ्र विवेचना पूर्ण कर, आरोपपत्र प्रेषित

WWW.LIVELAW.IN

किए जाने का श्रेय लेने का ही प्रयास किया। अभियोजन के शेष प्रारूपिक साक्षीगण के साक्ष्य सारभूत बिंदुओं पर विरोधाभास से परिपूर्ण रहे।

केस डायरी के पर्चा/रोजनामचा नंबर–3 दिनांकित 04.09.2015 में विवेचक द्वारा इस आशय का उल्लेख किया गया है कि *इस अभियोग में एक 5 वर्षीय अबोध बालक की बड़ी नृशंसतापूर्वक हत्या की गयी है।* ***उक्त बालक के विषय में जरार में चर्चा आम यह है कि वह सबको प्यारा था, उसकी बोली–भाषा से हर व्यक्ति स्वयं ही आकर्षित हो जाता था तथा वह अपने घर पर कम बल्कि अमरीश गुप्ता के साथ अधिक रहता था*** *तथा कभी–कभी तो रात में भी अमरीश गुप्ता के घर, उसके साथ ही सो जाता था। बहुत कम लोगों को पता था कि वह योगेंद्र सिंह का लड़का है।*

इससे स्पष्ट है कि मृतक अबोध शिशु का अपने पास–पड़ोस के लोगों के बीच स्नेहवश आवागमन बना रहता था तथा उसके माता–पिता भी इस आवागमन के संबंध में पूर्णतः निश्चिंत व आश्वस्त रहते थे। यदि यह मान भी लिया जाए कि साक्षी वाकल सिंह ने दिनांक 01.09.2015 को अभियुक्तगण नरेंद्र सिंह व नजमा के साथ मृतक बालक को देखा हो तो भी मृतक बालक की छवि के आलोक में, अभियुक्त नरेंद्र द्वारा कुरकुरे खिलाना तथा अभियुक्ता नजमा द्वारा गोद में बैठा लेना, आश्चर्यजनक नहीं, अपितु स्वाभाविक है, इससे, उनके द्वारा, उसकी हत्या की उपधारणा नितांत अन्यायोचित होगा।

प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में अभियोजन पक्ष, प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में, पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर रहा। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भरता की दशा में, अभियोजन पक्ष, अपेक्षाकृत अधिक कठोर सिद्धिभार के दायित्व के अधीन हो जाता है। ऐसी दशा में, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का न केवल ठोस व दृढ़ होना अपेक्षित है, अपितु प्रकरण से संबंधित परिस्थितियों का, अनन्य रूप से, अभियुक्त पर संकेंद्रण भी अपेक्षित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसे प्रकरणों में यह अपेक्षा की गयी है कि विद्यमान परिस्थितियां, संयुक्त रूप से, ऐसी पूर्ण श्रृंखला (Chain) की रचना करती हों, जिससे संपूर्ण मानवीय प्रायिकताओं (Probabilities) के अधीन, इस निष्कर्ष के अतिरिक्त अन्य कोई निष्कर्ष न निकले कि अपराध,

WWW.LIVELAW.IN

अभियुक्त द्वारा ही कारित किया गया है, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। इस संबंध में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं सुसंगत हैं–

1. State of Goa Vs. Pandurang Mohite, AIR 2009 SC 1066,
2. Baldev Singh Vs. State of Haryana, AIR 2009 SC 963,
3. Smt. Mula Devi Vs. State of Uttarakhand, AIR 2009 SC 655,
4. Arun Bhanudas Pawar Vs. State of Maharastra, 2008(61) ACC 32 (SC),
5. Saju Vs. State of Kerala, 2001 (1) JIC 306 (SC).

Circumstancial evidence, in order to be relied on, must satisfy the following tests-

1- Circumstances, from which an inference of guilt is sought to be drawn, must be cogently and firmly established,

2. Those circumstances must be of a definite tendency unerringly pointing towards guilt of the accused.

3- The circumstances, taken cumulatively should form a chain so complete that there is no escape from conclusion that within all human probability, the crime was committed by the accused and none else.

4- The circumstancial evidence in order to sustain conviction must be complete and incapable of explanation of any other hypothesis than that of the guilt of the accused but should be in consistent with his innocence. In other words, the circumstances should exclude every possible hypothesis except the one to be proved.

उपरोक्त समस्त परीक्षणीय बिंदुओं की कसौटी पर, प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के दोष की उपधारणा पूर्णतः असुरक्षित व अन्यायोचित होगी क्योंकि उपरोक्त वर्णित तार्किक विश्लेषण के आलोक में, अभियोजन कथानक पूर्णतः संदिग्ध पाया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विधि व्यवस्था के माध्यम से प्रकट मत प्रस्तुत प्रकरण में सुसंगत प्रतीत होता है–

Rajkumar Singh @ Raju @ Batya Vs. State of Rajasthan, 2013 AIR (SC) 3150,

Held- Evidence produced by the prosecution had been very shaky and the chain of links connecting the appellant with the crime appears inconclusive. The circumstancial evidence is completely wanting in this

WWW.LIVELAW.IN

respect. To except the discription of the evidene collected as flimsy or no evidence would be too short for convicting the appellant for the offence, as many issues/circumstances virtually remained unexplained.

प्रस्तुत निर्णय का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि अभियुक्तगण निरंतर 5 वर्ष से अधिक समय से कारागार में निरूद्ध रहे तथा यह उससे भी अधिक निराशाजनक पक्ष है कि 5 वर्षीय अबोध बालक की नृशंस हत्या का वास्तविक अपराधी, विधिक परिधि से परे, स्वच्छंद विचरण के लिए स्वतंत्र है, जबकि निर्दोष अभियुक्तगण अकारण, उपरोक्त 5 वर्ष की उल्लेखनीय कालावधि तक सदोषतः परिरूद्ध (Wrongfully confined) रहे, जिसके लिए निश्चित रूप से अभियोजन, विशेष रूप से विवेचक की उपेक्षात्मक व उदासीनता से परिपूर्ण विवेचना ही उत्तरदायी है। न्यायालय के मत में, प्रकरण में, उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में, भिन्न कोण से पुनर्विवेचना तथा अभियुक्तगण के पक्ष में प्रतिकर का आदेश न्यायसंगत होगा।

इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण के आलोक में, न्यायालय के मत में, अभियोजन पक्ष, आरोपित अपराध को अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे सिद्ध करने में विफल पाया जाता है। अतः अभियुक्तगण नरेंद्र व नजमा, आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302/34 भा0दं0सं0 से दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण नरेंद्र सिंह पुत्र श्री भगवान दास व नजमा पुत्री श्री जहूर खान को, आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–302/34, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (45) से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण अंतर्गत धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा से संस्तुति की जाती है कि प्रकरण में पूर्व से संकलित साक्ष्यों को विचार में लेते हुए, यदि संभव हो तो प्रकरण की भिन्न कोण से पुनर्विवेचना कराएं ताकि वास्तविक अपराधी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही संभव हो सके।

WWW.LIVELAW.IN

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण के विवेचक श्री ब्रह्म सिंह के विरूद्ध, उनकी उपेक्षा, उदासीनता व लापरवाही के दृष्टिगत यथोचित कार्यवाही करें।

अभियोजन को अंतर्गत धारा 237(3) दं0प्र0सं0 इस आशय की नोटिस जारी हो कि वह कारण दर्शित करे कि अभियुक्तगण को प्रतिकर क्यों न दिया जाए।

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
दिनांक–19.01.2021 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–26
आगरा।

यह निर्णय, आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
दिनांक–19.01.2021 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–26
आगरा।